वित्तीय मध्यस्थता

5

अध्याय

वित्तीय बाजारों द्वारा दक्ष मध्यस्थता बचतों को बढ़ाकर तथा उत्पादक प्रयोगों के लिए उनका इष्टतम आवंटन करके उच्चतर आर्थिक वृद्धि में परिणामी होती हैं। हमारे संवृद्धि पथ का 8 प्रतिशत से ऊपर के पूर्व संकट स्तर तथा उससे ऊपर की ओर अंतरण महत्वपूर्ण रूप से बचतकर्ताओं तथा उधारकर्ताओं के बीच दक्ष वित्तीय मध्यस्थता पर निर्भर है। पारम्परिक रूप से इस भूमिका का निर्वहन बैंकों ने किया है। तथापि, 1990 के दशक से आरम्भ सुधार प्रक्रिया के शुरू होने से वित्तीय मध्यस्थता के महत्व तथा स्वरूप में अन्य मध्यवर्तियों, जिनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी), बीमा तथा पेंशन निधियों तथा म्यूचुअल फंड (एफ एफ) शामिल है, के निवेशों में बचतों को सरलीकृत करने के लिए नवीन प्रक्रमों के रूप में उभरने के साथ फेर बदल हुआ है, इन घटनाक्रमों के साथ बाज़ार आधारित प्रपत्रों जैसे इक्विटी तथा ऋण बाज़ारों वित्तीय उत्पादों तथा फारवर्ड, फ्यूचर्स तथा अन्य व्युत्पाद प्रपत्रों का अर्विर्भाव हुआ है जिनके पास जोखिमों का पुन: आवंटन करने तथा पूंजी का और अधिक दक्ष प्रयोग करने की दक्षता है। तथापि, वैश्विक वित्तीय बाज़ारों के साथ भारत के बढ़ते एकीकरण के मद्देनजर विदेश क्षेत्र की सुभेद्यताओं का व्यापार तथा पूंजी खाता माध्यमों से भारत पर वर्धनात्मक रूप से वृहत् प्रभाव पड़ा है। अत: यह महत्वपूर्ण है कि एक दक्ष तथा स्वस्थ्य वित्तीय बाज़ार के साथ एक प्रभावी विनियामक प्रक्रम भी हो जो बाह्य सुभेद्यताओं का अनुमार्गण करे। इस अध्याय में भारत में वित्तीय क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों तथा वैश्विक वित्तीय बाज़ार में घटनाक्रमों के संदर्भ में इसके द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों तथा अवसरों का सारांश दिया गया है।

बैंक ऋण

5.2 वित्तीय मध्यवर्तियों के रूप में बैंक बचतकर्ताओं से जमाराशियां संग्रहित करते हैं तथा इन्हें आगे निवेशकों तथा अन्यों को उधार देते हैं, बैंकों की जमा राशियां उनके उधार देने के प्रचालनों का आधार बनती हैं। बैंकिंग क्षेत्र की सकल जमाराशियां वर्ष 2010-11 में 48,019.8 बिलियन रुपए के औसत से बढ़कर वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही के दौरान 64,362.3 बिलियन रुपए पर पहुंच गई। तथापि सकल जमाराशियों की वर्षानुवर्ष वृद्धि 2011-12 की पहली तिमाही में 17.9 प्रतिशत के औसत से संतुलित होकर वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही में 12.87 प्रतिशत रह गई, सकल जमाराशियों की वृद्धि दर में इस गिरावट ने ऋण की वृद्धि दर को भी संतुलित कर दिया जो 2011-12 की प्रथम तिमाही में 21.73 प्रतिशत के औसत से घट कर 2012-13 की तीसरी तिमाही में 16.49 प्रतिशत रह गई। हालांकि खाद्य ऋण जो मुख्यत: खाद्य अधिप्राप्ति के लिए दिया जाता है तथा कुल ऋण के लगभग 2 प्रतिशत का संघटन करता है, में संवृद्धि अस्थिर रही, खाद्य-भिन्न ऋण में वृद्धि में लगभग निरपेक्ष गिरावट आई (सारणी 5.1)।

5.3 बैंक अपनी जमाराशियों का प्रयोग ऋण देने के लिए अथवा सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए करते हैं। अनुमोदित प्रतिभूतियों में सकल जमाराशियों के प्रति उनके निवेश का अनुपात लगभग 30 प्रतिशत पर सीमाबद्ध रहा है जो सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) के तहत अपेक्षित न्यूनतम अनुपात से महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर है। सरकारी प्रतिभूतियों में उच्चतर आवंटन का कारण या तो जोखिम अवबोध न हो सकता है या निजी क्षेत्र को उत्कृष्ट उधार देने के अवसरों की अनुपलब्धता हो सकता है या दोनों ही हो सकता है। तथापि, जमाराशियों के प्रति ऋण के अनुपात में वृद्धि परिलक्षित हुई जो वर्ष 2011-12 की प्रथम तिमाही में 74.3 प्रतिशत से बढ़कर

सारणी 5.1 : जमा राशियों, ऋण तथा निवेशों की संवृद्धि दर (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

	2010-11	2011-12	2011-12				2012-13		
			तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3
सकल जमा राशियां	15.69	16.51	17.92	17.59	16.25	14.51	14.62	13.91	12.87
बैंक ऋण	21.27	18.71	21.73	19.63	17.61	16.37	18.07	16.79	16.49
खाद्य ऋण	15.85	33.02	24.72	42.52	35.64	29.80	56.99	35.28	33.76
खाद्य-भिन्न ऋण	21.36	18.48	21.69	19.29	17.32	16.14	17.45	16.46	16.17
अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	9.42	14.26	10.26	15.45	15.46	15.74	16.09	14.45	15.18

2012-13 की तीसरी तिमाही में 76.7 प्रतिशत पर पहुंच गया जिससे उस ऋण वृद्धि से उच्चतर ऋण वृद्धि को अनुरक्षित रख सके जो जमाराशियों में वृद्धि को देखते हुए अन्यथा व्यवहार्य होती।

ब्याज दरें

5.4 मौद्रिक नीति वर्ष 2012-13 में थोड़ी सी अधिक लचीली होनी आरम्भ हो गई। मुद्रास्फीति में संतुलन से भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए नीतिगत दरों को कम करने तथा प्रणाली में नकदी को सुधारने के लिए अन्य उपाय करने के लिए गुंजायश बनी। वर्ष 2012-13 के दौरान नीतिगत दरों में 2012-13 में अपचयन किया गया जिसमें रेपो दर में दो चरणों में 75 आधार बिंदुओं (अप्रैल 2012 में 50 आधार बिंदु तथा जनवर 2013 में 25 आधार बिन्दु) का अपचयन, अगस्त 2012 में एसएलआर में 100 आधार बिंदुओं का अपचयन तथा नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) में तीन चरणों में (22 सितम्बर 2012 से 25 आधार बिंदु, 3 नवम्बर 2012 से 25 आधार बिंदु तथा 9 फरवरी 2013 से 25 आधार बिंदु) की कटौती शामिल है। इन अपचयनों से प्रेरित हो कर अनेक बैंकों ने वर्ष के दौरान अपनी जमा तथा उधार देने की दरें घटा दीं। यद्यपि इन नीतिगत उपायों का प्रभाव अभी अनावृत हो रहा है, बैंकों की जमा तथा उधार देने की दरों में नीतिगत दरों का संचरण मुद्रा बाजार दरों की तुलना में कम सुस्पष्ट है जो ऋण बाजार में संरचनात्मक कठोरताओं की उपस्थिति को दर्शाता है

घरेलू जमा दरें

5.5 बैंकों के लिए मोडल सावधि जमा दरें सभी परिपक्वताओं में वर्ष 2012-13 के दौरान (25 दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार 15 आधार बिंदु घटकर 7.27 प्रतिशत हो गई। यह गिरावट सभी बैंक समूहों में तथा अधिकांशत: एक वर्ष तक की परिपक्वताओं में देखी गई (सारणी 5.2)। तथापि बचत जमाराशियों पर ब्याज, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2011 से अपविनियमित किया गया था, सामान्यत: स्थिर था। सकल जमाराशियों में 5.5 प्रतिशत के बाजार अंश वाले अट्ठारह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी बचत जमा दरें एक लाख रुपए तक के बचत जमा शेष के लिए 100-300 आधार बिंदु की सीमा में तथा एक लाख रुपए से अधिक के शेष के लिए 100-680 आधार बिंदु की सीमा में बढ़ा दीं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन दरों के अपविनियमन के पश्चात अभी तक किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक ने अपनी बचत जमा दरें नहीं बढ़ाई हैं।

चित्र 5.1: सकल जमाराशियां तथा ऋण और निवेश/जमाराशि अनुपात

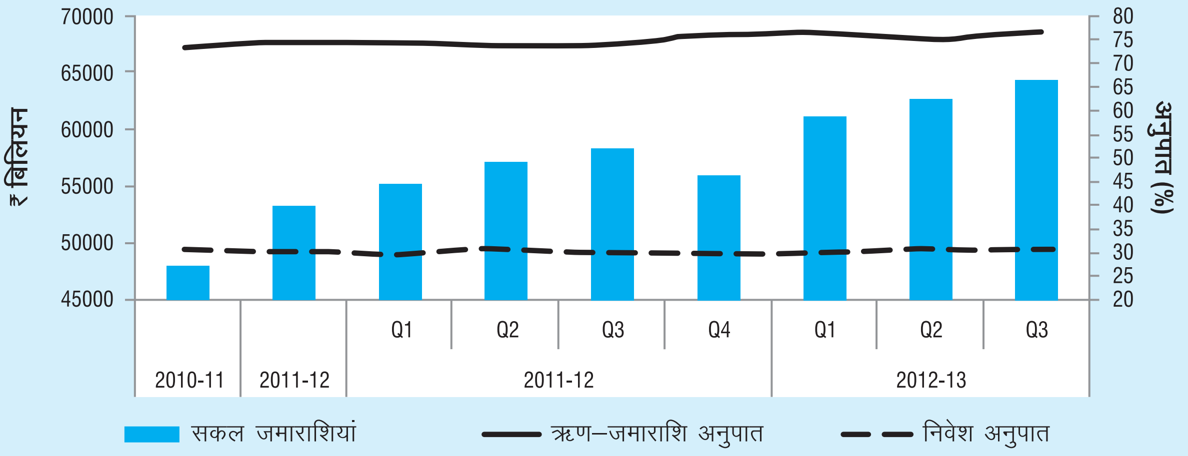

सारणी 5.2 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा तथा उधार देने की दरें

(प्रतिशत)

मद	दिसं- 11	मार्च- 12	जून-12	सित.-12	दिसं-12#
(क) घरेलू जमा दरें					
(i) सरकारी क्षेत्रक बैंक					
1 वर्ष तक	1.00-9.55	1.00-9.75	4.00-9.25	4.00-9.25	4.00-9.00
1-3 वर्ष तक	8.55-9.75	9.00-9.75	8.75-9.50	8.50-9.30	8.50-9.25
3 वर्ष से अधिक	8.00-9.50	8.50-9.50	8.00-9.50	8.50-9.30	8.50-9.10
(ii) निजी क्षेत्रक बैंक					
1 वर्ष तक	3.00-9.25	3.00-9.50	3.00-9.25	3.00-9.25	3.00-9.00
1-3 वर्ष तक	8.00-10.50	8.00-10.50	8.00-10.00	8.00-9.75	8.00-9.75
3 वर्ष से अधिक	8.00-10.10	8.00-10.10	8.00-10.00	8.00-9.50	8.00-9.50
(iii) विदेशी बैंक					
1 वर्ष तक	3.50-10.00	3.50-11.80	3.50-9.25	2.43-9.25	2.21-9.00
1-3 वर्ष तक	3.50-9.75	3.50-9.75	3.50-9.75	3.50-9.75	3.50-9.75
3 वर्ष से अधिक	4.25-9.50	4.25-9.50	3.75-9.50	3.75-9.50	4.35-9.50
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मॉडल जमाराशि दर (सभी अवधियां)	7.46	7.42	7.40	7.29	7.27
(ख) आधार दर					
सरकारी क्षेत्रक बैंक	10.00-10.75	10.00-10.75	10.00-10.50	9.75-10.50	9.75-10.50
निजी क्षेत्रक बैंक	10.00-11.25	10.00-11.25	9.75-11.25	9.75-11.25	9.75-11.25
विदेशी क्षेत्रक बैंक	6.25-10.75	7.38-11.85	7.38-11.85	7.25-11.75	7.20-11.75
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मॉडल आधार दर	10.75	10.75	10.50	10.50	10.50
(ग) माध्य उधार देने की दर*					
सरकारी क्षेत्रक बैंक	10.25-15.25	10.60-15.35	10.50-15.50	10.50-15.38	-
निजी क्षेत्रक बैंक	10.00-15.50	10.50-15.50	10.63-15.38	10.20-15.63	-
विदेशी क्षेत्रक बैंक	9.50-14.38	10.00-14.50	10.00-14.50	9.95-14.50	-

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

***उन अग्रिमों पर ब्याज दर जिस पर कम से कम 60 प्रतिशत व्यवसाय संविदाकृत किया गया है, की माध्य सीमा।**

टिप्पणी: # 15 दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार।

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियों पर ब्याज-दर

5.6 बैंकों की अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर मॉडल ब्याज दर 2012-13 के दौरान (15 दिसम्बर तक) 37 आधार बिंदु घटकर 8.71 प्रतिशत हो गई जो अर्थव्यवस्था में निर्यात ऋण के लिए अवमंदित मांग को प्रतिबिम्बित करती है। विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता (एफसीएनआर(बी)) जमाराशियों पर ब्याज दरें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित की जानी जारी रही, अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा अंतर्वाहों को बढ़ाने के उद्देश्य से, 5 मई 2012 से एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 1-3 वर्ष की परिपक्वता के लिए लिबोर/स्वैप दर जमा 200 आधार बिंदु तथा 3-5 वर्ष की परिपक्वता के लिए लिबोर/स्वैप दर जमा 300 आधार बिंदु किया गया। बैंकों द्वारा निर्यातकों के लिए व्यवस्था की गई विदेशी ऋण श्रृंखला पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित रही है। वर्तमान में इस संबंध में निर्धारित उच्चतम सीमा छमाही लिबोर/यूरो लिबोर/यूरीबोर जमा 250 आधार बिन्दु हैं जिसकी जब और जैसे आवश्यकता हो, समीक्षा की जा सकती है।

उधार देने की दरें

5.7 अप्रैल 2012 में रिपो दर में अपचयन तथा वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित अंशांकित नकदी सुधार उपायों के पश्चात, बैंकों की मॉडल आधार दर चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान 25 आधार बिंदु घट कर 10.50 प्रतिशत हो गई है (सारणी 5.2)। निर्यात ऋण को छोड़ कर बैंक अग्रिमों पर मध्य उधार देने की दरें (जिस पर 60 प्रतिशत या उससे अधिक व्यवसाय संविदाकृत किया गया है) नवम्बर 2012 में 9.50 तथा 15.75 प्रतिशत के नीचे थी जो मार्च 2012 में प्रवृत्त दरों की तुलना में 25-50 आधार बिन्दुओं का संतुलन दर्शाती हैं, 180 दिन तक नौवहन-पूर्व रुपया निर्यात ऋण पर मध्य उधार देने की दरें मार्च 2012 में 10.75-12.88 प्रतिशत की तुलना में नवम्बर, 2012 में 10.55-13.00 प्रतिशत के बीच थी।

सारणी 5.3 ऋण का क्षेत्रक नियोजन

	2010-11	2011-12	2011-12				2012-13		
			तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3
संवितरित ऋण (बिलियन रुपए)									
कुल ऋण	**33359**	**39506**	**37525**	**38299**	**39957**	**42244**	**44190**	**44610**	**46386**
खाद्य ऋण	546	726	625	678	769	832	949	950	1018
कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलाप	4159	4561	4524	4388	4459	4874	5217	5266	5479
उद्योग	14461	17656	16541	17121	17964	18999	19772	19890	20752
सेवाएं	7859	9298	8903	8943	9395	9950	10405	10383	10617
वैयक्तिक ऋण	6333	7255	6932	7129	7369	7588	7847	8121	8520
संवितरित ऋण में व्यापक क्षेत्रों के अंश (प्रतिशत)									
खाद्य ऋण	1.64	1.84	1.66	1.77	1.93	1.97	2.15	2.13	2.20
कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलाप	12.47	11.55	12.06	11.46	11.16	11.54	11.81	11.80	11.81
उद्योग	43.35	44.69	44.08	44.70	44.96	44.98	44.74	44.59	44.74
सेवाएं	23.56	23.53	23.73	23.35	23.51	23.55	23.55	23.28	22.89
वैयक्तिक ऋण	18.99	18.36	18.47	18.61	18.44	17.96	17.76	18.20	18.37
संवृद्धि की वार्षिक औसत दर (प्रतिशत)									
कुल ऋण	**20.84**	**18.43**	**21.19**	**19.43**	**17.15**	**16.38**	**17.76**	**16.48**	**16.09**
खाद्य ऋण	16.03	32.91	19.63	39.00	39.48	33.46	51.95	40.01	32.38
कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलाप	19.82	9.67	12.54	10.27	6.63	9.39	15.32	20.02	22.86
उद्योग	26.48	22.10	24.82	22.57	21.21	20.24	19.54	16.17	15.52
सेवाएं	19.55	18.30	22.23	19.93	16.76	15.02	16.87	16.10	13.01
वैयक्तिक ऋण	11.96	14.54	17.78	15.45	13.27	12.13	13.19	13.92	15.61

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

सारणी 5.4. प्राथमिकता क्षेत्रक अग्रिमों के विवरण

(₹ करोड)

	सरकारी क्षेत्रक बैंक			निजी क्षेत्रक बैंक			विदेशी बैंक		
	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12
कुल प्राथमिकता क्षेत्रक अग्रिम	863777	1021496	1129993	*214669*	*249099*	*286420*	59959	66737	80559
कृषि के लिए अग्रिम#	372463	414973	475148	*90737*	*92146*	*100900*	121	56	111
अति लघु एवं लघु उद्यमों के लिए अग्रिम	276318	369930	396343	*64824*	*88115*	*110513*	21147	20981	21760
कमज़ोर वर्गों के लिए अग्रिम	211376	240321	293960	*25532*	*28575*	*38929*	0 .00	0.00	0.00
निर्यातों के लिए अग्रिम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	35167	43322	51742
कुल अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिकता क्षेत्रक अग्रिम									
कुल प्राथमिकता क्षेत्रक अग्रिम	41.50	40.90	37.40	45.80	46.60	39.40	36.00	39.70	40.90
कृषि के लिए अग्रिम#	17.90	16.60	15.70	19.30	17.20	13.80	0.00	0.00	0.00
अति लघु एवं लघु उद्यमों के लिए अग्रिम	13.20	14.80	13.10	13.80	16.50	15.20	12.70	12.40	11.00
कमज़ोर वर्गों के लिए अग्रिम	10.10	9.60	9.70	5.40	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00
निर्यातों के लिए अग्रिम							21.10	25.70	26.20

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

टिप्पणी:– # अप्रत्यक्ष कृषि का परिकलन एएनबीसीके केवल 4.5 प्रतिशत तक अथवा तुलनपत्र से इतर देनधारियों के समतुल्य ऋण, जो भी उच्चतर हो, तक किया जाता है।

5.8 विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर को 5 मई 2012 से अपविनियमित किया गया ताकि निर्यातकों को विदेशी मुद्रा ऋणों में वृद्धि की जा सके। प्रतिवेदनकारी बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा में नौवहन-पूर्व ऋण पर उधार देने की मॉडल दर (जिस पर 60 प्रतिशत) या उससे अधिक का व्यवसाय संविदाकृत किया गया था। नवम्बर 2012 तथा जून 2012 के बीच इस अवधि के दौरान लिबोर दर में गिरावट के समनुरूप 20 आधार बिंदु घट कर 4.03 प्रतिशत हो गई। आस्ति पक्ष पर, आयातकों के लिए व्यापार ऋण भी विनियमित रहा है तथा वर्तमान में 11 सितम्बर 2012 से पांच वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए आयात हेतु व्यापार क्रेडिट पर सर्वसमावेशी लागत की उच्चतम सीमा छमाही लिबोर (ऋण की संबंधित मुद्रा के लिए) जमा 350 आधार बिन्दु है।

ऋण का क्षेत्रक नियोजन

5.9 ऋण के क्षेत्रक नियोजन के ब्यौरों का अनुरक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियमित रूप से 47 अनुसूचित बैंकों के लिए, जो कुल प्रदत ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हैं। बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण के लगभग 45 प्रतिशत के साथ उद्योग प्रबल क्षेत्र बना रहा है जबकि प्रमुखत: खाद्य अधिप्राप्ति के लिए प्रदत खाद्य ऋण अस्थिर रहा है, कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र में 2011-12 की तीसरी तिमाही के पश्चात वृद्धि परिलक्षित हुई है, हालांकि उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों के लिए ऋण की वृद्धि में ह्रास परिलक्षित हुआ है, वैयक्तिक ऋणों में वृद्धि निम्नतम स्तर पर पहुंच गई प्रतीत होती है तथा 2012-13 की तीसरी तिमाही में कुछ सुधार हुआ है (सारणी 5.3)। मुद्रास्फीति ने खाद्य-भिन्न मदों की खपत को प्रभावित किया। प्रदत्त ऋण में क्षेत्रक हिस्से सामान्यत: स्थिर रहे हैं।

प्राथमिकता क्षेत्रक उधार

5.10 सुभेद्य क्षेत्रों को पर्याप्त सांस्थानिक ऋण का प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता के मद्देनज़र भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिदेश दिया है कि बैंक अपने अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्रों को उधार दें। प्राथमिक क्षेत्रों में मोटे तौर पर कृषि, लघु उद्योगों, अपेक्षाकृत कमज़ोर वर्गों, निर्यातों, शिक्षा, तथा स्व सहायता समूहों इत्यादि के लिए अग्रिम शामिल हैं। प्राथमिकता क्षेत्र के ब्यौरे परिशिष्ट 4.6 में दिए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 20 जुलाई 2012 को जारी प्राथमिकता क्षेत्रक उधार (पीएसएल) संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों में 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों को अधिदेश दिया गया है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीपी) या तुलन-पत्रेत्तर देनदारियों (ओबीई) की समतुल्य राशि के 40 प्रतिशत हिस्से का ऋण, जो भी उच्चतर है, प्राथमिक क्षेत्र को आवंटित करें। इसके अंतर्गत, एएनबीपी या ओबीई के ऋण समतुल्य राशि के 18 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत का ऋण क्रमश: कृषि तथा अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों को उधार देने के उपलक्ष्य अधिदेशित किए गए हैं। 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए, पीएमएल का लक्ष्य एनएनबीसी या ओबी की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो का 32 प्रतिशत है, विदेशी बैंकों को अपना पीएसएल लक्ष्य हासिल करने के लिए अप्रैल 2013 में आरम्भ 5 वर्ष का समय दिया गया है। तथापि, उनकी कार्य योजना को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है।

5.11 सरकारी क्षेत्रक बैंकों (पीएसबी) के कुल बकाया प्राथमिकता क्षेत्रक अग्रिम मार्च 2010 के अंतिम प्रतिवेदनकारी शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 10,21,496 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2012 के अंतिम प्रतिवेदनकारी शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 11,29,993 करोड़ रुपए हो गए जो 10.6 प्रतिशत वृद्धि के द्योतक हैं। एक समूह के रूप में पीएसबी की उपलब्धि मार्च 2012 के अंतिम प्रतिवदेनकारी शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 37.4 प्रतिशत थी। सरकारी क्षेत्रक बैंकों के बकाया प्राथमिक क्षेत्रक अग्रिमों में 2011-12 में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा मार्च 2012 के अंतिम प्रतिवेदनकारी शुक्रवार की स्थिति के अनुसार ये उनके कुल अग्रिमों का 39.4 प्रतिशत थे। विदेशी बैंकों के बकाया प्राथमिक क्षेत्रक अग्रिम मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 40 प्रतिशत के लक्षित स्तर पर पहुंच गए थे यद्यपि ये अग्रिम अधिकांशत: निर्यात क्षेत्र में रहे हैं (सारणी 5.4)

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

5.12 ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की संस्थापना मध्यम तथा लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण जलसंकट प्रबंधन तथा ग्रामीण अवसंरचना के अन्य स्वरूपों से संबंधित चल रही परियोजनाओं की त्वरित आपूर्ति के लिए राज्यों तथा राज्य स्वामित्ताधीन कारपोरेशनों को निम्न लागत निधि सहायता देने के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट 1995-96 में की गई एक घोषणा के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में की गई थी। आरआईडीएफ को आवंटन बैंकों द्वारा पीएमएन लक्ष्य पूरा करने में कमी में से किया जाता है। वर्ष 1995-96 में आरआईडीएफ के आरंभन से लेकर मार्च 2012 तक, 143,230 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के साथ 462,229 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्य सरकारों को स्वीकृत संचयी आरआईडीएफ ऋणों में से 42 प्रतिशत ऋण सिंचाई तथा विद्युत समाहित कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र को दिया गया है, 15 प्रतिशत ऋण स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्रामीण पेयजलापूर्ति को प्राप्त हुआ है जबकि ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का हिस्सा क्रमश: 31 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत रहा है। आरआईडीएफ के तहत निधियों का वार्षिक आवंटन वर्ष 1995-96 (आरआईडीएफ I) में 2000 करोड़ रुपए में क्रमिक रूप में बढ़कर वर्ष 2012-13 (आरआईडीएफ xviii) में 20,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।

सारणी 5.5 : आरआईडीएफ तथा भारत निर्माण (ग्रामीण सड़क संघटक) के तहत स्वीकृतियां तथा संवितरण

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2012-13 (नवम्बर 2012 तक)			नवम्बर 2012 तक संचयी		
	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति (%)	स्वीकृत	संवितरण*	स्वीकृत राशि के % के रूप में संवितरण
दक्षिण	3775	1420	37.6	37899	26529	70.0
पश्चिम	2170	1134	52.3	22149	15693	70.9
उत्तर	4850	1810	37.3	44668	30092	67.4
मध्य	1480	356	24.1	13080	8078	61.8
पूर्वी	3800	863	22.7	26600	15625	58.7
पूर्वोत्तर एवं सिक्किम	725	145	20.0	6758	4034	59.7
उप-जोड़	**16800**	**5728**	34.1	**151154**	**100051**	66.2
भांडागारण	-	101	-	2512	1208	48.1
भारत निर्माण	-	-	-	18500	18500	100.0
कुल जोड़	**16800**	**5829**	34.7	**172166**	**119759**	70.0

स्रोत: नाबार्ड

टिप्पणी: एनईआर पूर्वोत्तर क्षेत्र है।

5.13 आरआईडीएफ I से XVIII समावेशी 1,72,500 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से, कुल मिलाकर 151154 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां विभिन्न राज्य सरकारों को प्रदान की गई है तथा नवम्बर 2012 के अंत तक 100051 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी हैं। लगभग 55 प्रतिशत आवंटन दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रों को किया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (एनआरआरडीए) ने इसके लिए स्वीकृत 18,500 करोड़ रुपए (आरआईडीएफ xii-xv के तहत) की सम्पूर्ण राशि का संवितरण मार्च 2010 तक कर दिया है) वर्ष 2012-13 के दौरान (नवम्बर 2012 के अंत तक) आरआईडीएफ के तहत राज्यों को 5,829 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी (सारणी 5.5)।

वित्तीय समावेशन

सूक्ष्म वित्त: स्व. सहायता समूह बैंक संवर्धन कार्यक्रम

5.14 यद्यपि सूक्ष्म वित्त का परिशीलन करने के लिए भिन्न भिन्न मॉडल हैं, स्व सहायता समूह (एसएचजी)- बैंक संवंधन कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है। इसे वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। एसएचजी बैंक संवंधन कार्यक्रम के तहत 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 6,551 करोड़ रुपए की कुल बचतों वाले 79.60 लाख एसएचजी धारित बचत बैंक खाते प्रचालन में थे, नवम्बर 2012 तक, एक अन्य 2. 14 लाख एसएचजी कार्यक्रम की परिधि के अंतर्गत आ गए थे जिसे बचत संबद्ध समूहों की संचयी संख्या 81.74 लाख पर पहुंच गई थी। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार, 43.54 लाख स्व-सहायता समूहों के 36,340 करोड़ रुपए के बकाया बैंक ऋण थे (सारणी 5.6)। वर्ष 2012-13 के दौरान (नवम्बर 2012 तक) 3.67 लाख एसएचजी को 6,664.15 करोड़ रुपए की राशि का वित्त पोषण दिया गया था।

स्वाभिमान योजना का विस्तार

5.15 स्वाभिमान वित्तीय समावेशन अभियान के तहत, 2,000 से अधिक की जनसंख्या वाले 74,000 से अधिक वामस्थलों को विभिन्न मॉडलों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिनमें व्यवसाय संवाददाताओं (बीसी) के जरिए शाखारहित बैंकिंग शामिल है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2012-13 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि स्वाभिमान का विस्तार वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों में 1,000 से अधिक की जनसंख्या वाले वासस्थलों में तथा मैदानी क्षेत्रों में, 1600 से अधिक की जनसंख्या वाले वासस्थलों में किया जाएगा। तदनुसार, विस्तारित स्वाभिमान अभियान के तहत ऐसे लगभग 45,000 वासस्थलों को सम्मिलन हेतु अभिज्ञात किया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजकों के माध्यम में हुई प्रगति के अनुसार, अभिज्ञात वासस्थलों में से 10,450 वासस्थलों को दिसम्बर 2012 के अंत तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं, इसमें सभी वासस्थलों में बैंकों की पहुंच आबादी की आरम्भिक सीमा के ऊपर पहुंच जाएगी।

अल्ट्रा लघु शाखाओं की स्थापना

5.16 संबंधित बैकों द्वारा व्यवसाय संवाददाता एजेंटों की बारीकी से पर्यवक्षण करने तथा परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए तथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि बैंकिंग सेवाओं की एक श्रृंखला ऐसे ग्रामों के निवासियों को उपलब्ध हो, वित्तीय समावेशन के तहत बीसीए के जरिए शामिल

सारणी 5.6 : सूक्ष्म, वित्त कार्यक्रम की प्रगति

वर्ष	वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा वित्तपोषित नए एस एच जी*			बकाया बैंक ऋण		
	सं. (लाख)	राशि (₹ करोड़)	वृद्धि (%)	सं. (लाख)	राशि (₹ करोड़)	वृद्धि (%)
2007-08	12.28	8849.26	-	36.26	16999.90	-
2008-09	16.09	12256.51	38.50	42.24	22679.85	33.41
2009-10	15.87	14453.30	17.90	48.52	28038.28	23.62
2010-11	11.96	14547.73	0.65	47.87	31221.17	11.35
2011-12	11.48	16534.77	13.66	43.54	36340.00	16.40

स्रोत: नाबार्ड

टिप्पणी: *इसमें एसएचजी को नए तथा पुनरावृत्त ऋण शामिल है।

सभी ग्रामों में अल्ट्रा लघु शाखाओं (यूएसबी) की स्थापना की जा रही है, ये यूएसबी 100-200 वर्ग फुट के लघु क्षेत्र में अवस्थित होंगे जहां बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी पूर्व निर्धारित दिवसों पर एक लैपटॉप के साथ उपस्थित रहेंगे, हालांकि नकदी सेवाएं बीसीए द्वारा प्रदान की जाएंगी, बैंक अधिकारी अन्य सेवाओं की व्यवस्था करेगा, क्षेत्र सत्यापन करेगा तथा बैंकिंग लेनदेनों का परिशीलन करेगा। क्षेत्र में व्यवसाय संभाव्यत के आधार पर दौरों की आवधिकता तथा अवधि को प्रगामी रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभी तक देश में कुल 40,000 से अधिक यूएसबी स्थापित किए जा चुके है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रदान करना

5.17 भारत सरकार ने पहली जनवरी 2013 में प्रभावी एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना की शुरूआत करने का निर्णय लिया है। आरम्भ में, 26 योजनाओं के तहत लाभों का अंतरण संबंधित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के 43 अभिज्ञात जिलों में लाभानुभोगियों के बैंक खातों में किया जाएगा। बैंक सुनिश्चित करेंगे कि इन जिलों में सभी लाभानुभोगियों का एक बैंक खाता हो। सभी पीएसबी तथा आरआरबी ने व्यवस्था की है ताकि संबंधित विभागों/मंत्रालयों/क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा समाकलित डाटा का प्रयोग आधार युक्त बैंकों की मूल बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) में बैंक खाते के ब्यौरे प्रविष्ट करने के लिए किया जा सके। सभी पीएसबी भी लाभों के सहज अंतरण के लिए भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के आधार भुगतान क्षेत्र में शामिल हो गए हैं।

कृषि ऋण

5.18 वर्ष 2011-12 के लिए नियत 4,35,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 5,11,029.09 करोड़ रुपए की राशि कृषि क्षेत्र को संवितरित की गई थी जो लक्ष्य से 8 प्रतिशत अधिक है। जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों तथा आरआरबी ने मिलकर 99.65 लाख नए किसानों को ऋण प्रदान किया, सहकारी बैंकों ने इसी अवधि के दौरान 21.52 लाख नए किसानों को ऋण

सारणी 5.7 : वर्ष 2006-07 तथा 2012-13 के बीच कृषि क्षेत्र को संवितरित एजेंसीवार ऋण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	एजेंसी	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12^	2012-13 *
1	सहकारी बैंकों $	42480	48258	46192	63497	78121	87963	64664
	का हिस्सा (%)	18.52	18.95	15.30	16.51	16.68	17.21	26.99
2	आरआरबी	20435	25312	26765	35218	44293	54450	32127
	का हिस्सा (%)	8.91	9.94	8.87	9.16	9.46	10.65	13.41
3	वाणिज्यिक बैंकों	166485	181088	228951	285799	345877	368616	142838
	का हिस्सा (%)	72.57	71.11	75.83	74.33	73.86	72.13	59.61
	कुल (1+2+3)	**229400**	**254658**	**301908**	**384514**	**468291**	**511029**	**239629**

स्रोत: वाणिज्यिक बैंक डाटा-इंडियन बैंकस एसोसिएशन (आरबीए)/भा.रा.बैंक, सहकारी बैंक तथा आरआरबी डाटा-नाबार्ड

टिप्पणियां: $ अन्यों समाहित, ^अनंतिम, *सितम्बर 2012 तक

सारणी 5.8 : निर्गत किए गए एजेंसीवार केसीसी तथा स्वीकृत राशि

(31 अगस्त, 2012 की स्थिति के अनुसार)

एजेंसी	निर्गत-कार्ड (लाख)				स्वीकृत राशि (₹ करोड़)			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13**
सहकारी बैंक	17.43	28.12	29.59	9.75	7606	10719	10642	4111
आरआरबी	19.50	17.74	19.96	6.2	10132	11468	11516	4127
वाणिज्यिक बैंक	53.13	55.83	68.03	उ.न.	39940	50438	69518	उ.न.
कुल	**90.06**	**101.69**	**117.58**	**15.95**	**57678**	**72625**	**91676**	**8238**

स्रोत: नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक
टिप्पणियां: उ.न. : उपलब्ध नहीं
अगस्त 2012 तक
वर्ष 2012-13 के दौरान जारी कार्डों के प्रति बकाया राशि 31 अगस्त, 2012 तक

प्रदान किया जिसमें बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए नए किसानों की कुल संख्या 121.17 लाख हो गई। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार वित्त पोषित किए गए कृषिय ऋण खातों की कुल संख्या 6.47 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2012-13 के दौरान कृषि के लिए वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा आरआरबी द्वारा प्रदत्त ऋण कुल मिला कर सितम्बर 2012 तक 2,39,629 करोड़ रुपए था जो 2012-13 के लिए नियत 5,75,000 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य का 42 प्रतिशत बैठता है (सारणी 5.7)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

5.19 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सांस्थानिक ऋण तक किसानों की सार्वभौम पहुंच हेतु एक महत्वपूर्ण पहल रही है। 31 अगस्त 2012 की स्थिति के अनुसार देश में सहकारी बैंकों तथा आरआरबी द्वारा जारी प्रचालनात्मक केसीसी की संख्या 406 लाख थी जिन पर बकाया ऋण की राशि 1,12,333.90 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2012-13 के दौरान (अप्रैल 2012 से अगस्त 2012), 16 लाख (लगभग) केसीसी सहकारी बैंकों तथा आरआरबी द्वारा जारी किए गए जिनके प्रति लिए गए ऋण की बकाया राशि 8,238 करोड़ रुपए थी। जैसाकि भा.रि. बैंक ने सूचित किया है, वाणिज्यिक बैंकों ने 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कुल 547.49 लाख कार्ड (आरम्भन से संचयी) जारी किए थे जिनकी स्वीकृत राशि 3,53,144.82 करोड़ रुपए है (सारणी 5.8)

बॉक्स 5.1 : ब्याज सहायता योजना 2012-13

वर्ष 2012-13 के दौरान 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता आयोजन 2012-13 की व्यवस्था निम्न शर्तों के साथ की जा रही है:

(i) पीएसबी, सहकारी बैंकों तथा आरआरबी को प्रति किसान 3,00,000 रुपए तक के अलपावधि फसल ऋणों के लिए प्रयुक्त अपनी स्वयं की निधियों पर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज सहायता बशर्ते के उधारदाता संस्थाएं अल्पावधि ऋण 7 प्रतिशत प्रति वर्ष के न्यूनतम स्तर पर उपलब्ध कराएं। ब्याज सहायता का परिकलन फसल ऋण की राशि पर इसके संवितरण/आहरण की तिथि से वास्तविक वापसी अदायगी की तिथि तक एक वर्ष की अधिकतम अवधि के अधीन किया जाता है।

(ii) फसल ऋण के संवितरण की तिथि से वापसी अदायगी की वास्तविक तिथि तक अथवा फसल ऋण की वापसी अदायगी के लिए बैंक द्वारा नियत देय तिथि तक जो भी पहले हो, तत्परता में अदायगी करने वाले किसानों के लिए संवितरण की तिथि से एक वर्ष की अधिकतम अवधि के अध्यधीन 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता उपलब्ध है।

(iii) इसके अतिरिक्त, आपदा बिक्री को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2011-12 के दौरान उन लघु तथा सीमांतिक किसानों को, जिनके पास केसीसी कार्ड थे, भांडागारों के अपनी फसल रखने के लिए परक्राम्य भांडागार रसीदों के प्रति फसल ऋणों के लिए उपलब्ध दरों पर ही ब्याज सहायता का पश्च फसल लाभ छः माह की आगामी अवधि के लिए उपलब्ध कराया गया। इसे वर्ष 2012-13 में भी जारी रखा गया है।

(iv) किसानों को राहत प्रदान करने के लिए यह निर्णय भी लिया गया कि जिन मामलों में फसल ऋणों को 2012-13 के दौरान सूखे के कारण पुनः संरचित किया गया था, उन पर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज सहायता, जो पहले ही पीएसबी, आरआरबी तथा ग्रामीण सहकारी ऋणों संस्थाओं को अल्पावधिक फसल ऋणों के लिए उपलब्ध है, पूर्ण पुनः संरचित ऋण राशि पर चालू वित्त वर्ष के लिए उपलब्ध की जानी जारी रहेगी। तथापि, पुनः संरचित ऋणों पर अगले वित्त वर्ष से आगे ब्याज की सामान्य दर लागू होगी।

ब्याज सहायता योजना

5.20 किसानों को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पवधि फसल ऋण देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता योजना क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से उन किसानों को अतिरिक्त ब्याज सहायता उपलब्ध करा रही है जो समय पर अपने ऋणों की वापसी अदायगी कर देते है। अतिरिक्त सहायता, जो वर्ष 2009-10 से उन किसानों को अतिरिक्त ब्याज सहायता उपलब्ध करा रही है जो समय पर अपने ऋणों की वापसी अदायगी कर देते है। अतिरिक्त सहायता, जो वर्ष 2009-10 में 1 प्रतिशत थी, को क्रमिक रूप से बढ़ाकर वर्ष 2010-11 में 2 प्रतिशत तथा 2011-12 एवं 2012-13 में 3 प्रतिशत कर दिया गया (देखे बॉक्स 5.1)।

बैंकों का वित्तीय निष्पादन

5.21 वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय बैंकों का निष्पादन वैश्विक वित्तीय बाजारों के कमजोर सुधार के साथ साथ निरंतर उच्च मुद्रास्फीति तथा मंदिक वृद्धि निष्पादन द्वारा काफी सीमा तक अव मंदित रहा। इसमें अतिरिक्त कुछ राज्य वित्तीय बोर्डों तथा एयरलाइन कंपनियों की दाबग्रस्त वित्तीय दशाओं ने बैंकों की आस्ति गुणता के ह्रास में वर्धन किया। एससीबी का समेकित तुलन पत्र ऋण के साथ साथ जमाराशियों की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के कारण विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ा। इसके अतिरिक्त, बैंकों के निवल लाभ में मंदन आया। यद्यपि भारतीय बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी रही, बढ़ी अनर्जक आस्तियां (एनपीए) के संबंध में चिंता बनी रही।

5.22 एससीबी का सारणी 5.9 में यथा दर्शित प्रचालनात्मक निष्पादन निम्न प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:-

- एससीबी की कुल आय में पीएसबी का 72 प्रतिशत तथा सकल आस्तियों में 72.8 प्रतिशत का प्रबल हिस्सा था।
- वर्ष 2011-12 में, प्रावधानन तथा आकिस्मकताओं पर व्यय में तीव्र वृद्धि हुई; तथापि वृद्धि दर सभी बैंक श्रेणियों में भिन्न भिन्न थी। जबकि आकिस्मता तथा प्रावधानन व्ययों ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए 16.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, पीएसबी के लिए यह वृद्धि दर 21.3 प्रतिशत थी तथा नए निजी बैंकों की वृद्धि दर केवल 3 प्रतिशत थी। पीएसबी आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में, प्रावधानन व्यय 2010-11 में 1.04 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 1.11 प्रतिशत हो गया।
- पीएसबी वर्ष 2010-11 के 2.55 प्रतिशत के अपने ब्याज विस्तार को बढ़ाकर 2011-12 में 2.59 प्रतिशत हो गए। पुराने निजी क्षेत्रक बैंकों तथा विदेशी बैंकों के ब्याज विस्तार में गिरावट आई। वर्ष 2011-12 के दौरान सभी एससीबी के लिए ऋण संवितरण में सापेक्षतया संतुलित वृद्धि के साथ ब्याज विस्तार में वृद्धि महत्वपूर्ण है।
- आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में निवल लाभ 2010-11 तथा 2011-12 में 0.98 प्रतिशत पर नियत रहा। तथापि पीएसबी के मामले में यह 2010-11 में 0.85 प्रतिशत से गिरकर 201-12 में 0.82 प्रतिशत रह गया। फिर भी विदेशी बैंक तथा नए निजी क्षेत्रक बैंक आस्तियों के प्रति निवल लाभ के अनुपात को बढ़ाने में समर्थ रहे।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

5.23 वर्ष 2011-12 के प्रथमार्ध के दौरान घरेलू बाजार में प्रवृत्त अनिश्चितताओं तथा इक्विटी बाजार के सापेक्षतया अवमंदित निष्पादन के पश्चात बैंकों ने वर्ष 2011-12 के दौरान सार्वजनिक निर्गमों के जरिए समाधन संग्रहण का परिहार किया। वर्ष 2011-12 के दौरान, निजी स्थापनों के जरिए बैंकों के संसाधन संग्रहण में भी विगत वर्ष की तुलना में धीमापन आया। तथापि, यह अपचयन पीएसबी के मामले में देखा गया जबकि निजी क्षेत्रक बैंको ने निजी स्थापनों के जरिए संसाधन संग्रहण जारी रखे।

5.24 प्रणाली के लिए समग्र रूप से तथा साथ ही सभी बैंक समूहों का पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 2010-11 में 9 प्रतिशत के निर्धारित विनियामक मापदंड से काफी अधिक बना रहा। जो यह निर्दिष्ट करता है कि भारतीय बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी थी। साथ ही, प्रणाली स्तर पर सीआरएआर में विगत वर्ष की तुलना में मामूली सा सुधार आया, प्रणाली व्यापी स्तर पर सीआरएआर मार्चांत 2011 में 14.19 प्रतिशत की तुलना में मार्चांत 2012 के तहत 14.2 प्रतिशत आंका गया था।

5.25 चूंकि पूंजी, ऋण आस्तियां सृजित करने के लिए बैंक की क्षमता का मुख्य पैमाना है और तुलन-पत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए भारत सरकार पीएसबी में नियमित रूप से अतिरिक्त पूंजी-निवेश कर रही है ताकि उनका विकास किया जा सके और उन्हें वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ और लाभकर बनाए रखा जा सके। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी बढ़ती जरूरतों को सही ढंग से पूरा किया जा सके। सरकारी क्षेत्र के सात बैंकों में 2011-12 में 12,000 करोड़ रुपये का पूंजी अंतर्वेशन किया गया है ताकि वे 8 प्रतिशत पर न्यूनतम टियर Iसीआरएआर रख सकें तथा साथ ही पीएसबी में भारत सरकार की शेयरधारिता को बढ़ाया जा सके।

5.26 वर्ष 2012-13 में भी, सरकार ने पीएसबी में उनकी टियर I पूंजी का वर्धन करने के लिए पूंजी अंतर्वेशन किया है ताकि वे अपने टियर I सीआरएआर के सुखद स्तर पर बनाए रख सके तथा बाजेल III के तहत अपेक्षाकृत कठोर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुपालक बने रहें। इससे अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय पीएसबी को भी उनकी सहायक कंपनियों तथा सहयोगी कंपनियों के माध्यम से किए जा रहे उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रचालनों में

सारणी 5.9 : वाणिज्यिक बैंकों के प्रचालनात्मक प्राचल

(₹ करोड़)

मद	आय	ब्याज आय	व्यय	किया गया व्यय	प्रावधान तथा आकस्मिकताए	निवल लाभ	कुल आस्तियां
				2010-11			
पीएसबी	414099	366135	369199	231153	55080	44901	5294006
विदेशी बैंक	39505	28493	31786	10623	8595	7719	491175
पुराने निजी क्षेत्रक बैंक	26328	23299	23226	14768	2858	3101	309011
नए निजी क्षेत्रक बैंक	91259	73414	76649	42381	12261	14610	1089206
सभी एससीबी	571191	491341	500860	298925	78795	70331	7183398
				2011-12			
पीएसबी	535098	484740	485584	328539	66831	49514	6037982
विदेशी बैंक	47223	36340	37797	15195	9056	9426	583600
पुराने निजी क्षेत्रक बैंक	35975	32592	32051	22506	3005	3924	375015
नए निजी क्षेत्रक बैंक	122503	101387	103709	64279	12626	18794	1302786
सभी एससीबी	740799	655059	659141	430519	91517	81658	8299383
				आस्तियों के प्रतिशत के रूप में			
				2010-11			
पीएसबी	7.82	6.92	6.97	4.37	1.04	0.85	2.55
विदेशी बैंक	8.04	5.80	6.47	2.16	1.75	1.57	3.64
पुराने निजी क्षेत्रक बैंक	8.52	7.54	7.52	4.78	0.92	1.00	2.76
नए निजी क्षेत्रक बैंक	8.38	6.74	7.04	3.89	1.13	1.34	2.85
सभी एससीबी	7.95	6.84	6.97	4.16	1.10	0.98	2.68
				2011-12			
पीएसबी	8.86	8.03	8.04	5.44	1.11	0.82	2.59
विदेशी बैंक	8.09	6.23	6.48	2.60	1.55	1.62	3.62
पुराने निजी क्षेत्रक बैंक	9.59	8.69	8.55	6.00	0.80	1.05	2.69
नए निजी क्षेत्रक बैंक	9.40	7.78	7.96	4.93	0.97	1.44	2.85
सभी एससीबी	**8.93**	**7.89**	**7.94**	**5.19**	**1.10**	**0.98**	**2.71**

सहायता मिलेगी। इस प्रयोजनार्थ, 12517 रुपए की राशि का आबंटन योजना के तहत संशोधित अनुमान (सं.अ.) 2012-13 में किया गया है।

5.27 अगले 10 वर्षों में पीएसबी के पूंजीकरण का निर्धारण करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने अन्य बातों के अलावा पीएसबी के निधियन के लिए विभिन्न विकल्पों की अनुशंसा की है। बजटीय बाधाओं के मद्देनजर सरकार के लिए पीएसबी में भारी धनराशियां का अंतर्वेशन करना व्यवहार्य नहीं होगा। अत: उच्च स्तरीय समिति ने संसद के एक विशेष अधि नियम के तहत एक गैर प्रचालनात्मक वित्तीय धारिता कंपनी (होल्डको) का गठन करने की अनुशंसा की है जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्न होंगे:

- भारत सरकार के लिए एक निवेश कंपनी के रूप में कार्य करना;
- सभी पीएमबी में भारत सरकार की धारिताओं का एक प्रमुख भाग धारित करना;
- पीएमबी में इक्विटी का अंतर्वेशन करने के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दीर्घावधि कर्ज जुटाना; तथा
- अपने स्वयं के स्रोतों से ऋण का शोधन करना।

आरआरबी के सीआरएआर बढ़ाने के लिए उनका पुनः पूंजीकरण।

5.28 आरआरबी ने ग्रामीण इलाकों, खासकर कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदाय में केन्द्रीय भूमिका निभाई है। ग्रामीण जनता के लिए अपनी सुदूर पहुंच बढ़ाने और अधिक असरदार बैंकिंग सेवा मुहैया कराने के लिए आरआरबी को प्रौद्योगिकी और पूंजीगत स्तरोन्नयन की अनवरत प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। आरआरबी के सीआरएआर को कम से कम 9 प्रतिशत ले जाने की दृष्टि से डॉ के.सी चक्रवर्ती समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुशंसा की कि 21 राज्यों में 40 आरआरबी को ₹ 22.00 करोड़ की सीमा तक पुनः पूंजीकरण सहयोग प्रदान किया जाए। समिति की सिफारिश के अनुसरण में, पुनःपूंजीकरण राशि का हिस्सा आरआरबी में पणधारकों द्वारा उनके पणधारण के अनुपात में अर्थात् केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत, संबंधित राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत और संबंधित प्रायोजक बैंकों द्वारा 35 प्रतिशत दिया जाना है। केन्द्र सरकार का हिस्सा ₹1100 करोड़ रुपए का तय है। 2010-11 में आरंभ पुनःपूंजीकरण प्रक्रिया को 2011-12 तक पूरा किया जाना था। यद्यपि केन्द्र सरकार ने 21 आरआरबी को ₹468.0 करोड़ की राशि 2010 और 2011-12 में जारी की, तथापि पुनःपूंजीकरण की प्रक्रिया 2011-12 में पूरी नहीं की जा सकी। क्योंकि सभी राज्य सरकारों ने अपने-अपने हिस्से पुनःपूंजीकरण के लिए नहीं जारी किये। ऐसे में पुनःपूंजीकरण योजना को मार्च 2014 तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रयोजन से ₹200 करोड़ का प्रावधान 2012-13 के बजट में किया गया तथा समग्र प्रावधान जारी कर दिया गया है। इस प्रकार 31 दिसम्बर, 2012 तक सरकार ने 27 आरआरबी को कुल ₹668.9 करोड़ की रकम जारी की थी।

आरआरबी का समामेलन

5.29 उपरी खर्चों को न्यूनतम करने तथा आरआरबी में प्रौद्योगिकीय उपयोग को इष्टतम करने के विचार से सरकार ने नाबार्ड संबंधित राज्य सरकार, और प्रयोजक बैंकों के परामर्श से किसी राज्य में भौगोलिक रूप से समीपस्थ आरआरबी का समामेलन आरंभ किया है। इससे समामेलित आरआरबी का पूंजीगत आधार तथा सेवा क्षेत्र बढ़ेगा और उनका कार्यक्षेत्र फैलेगा। ऐसे में समामेलित कंपनियों का आर्थिक स्वास्थ्य टिकाऊ होगा और वे प्रौद्योगिकी के अंगीकरण एवं संवर्धित प्रबंधन के सहारे अपने क्षेत्र की बेहतर सेवा कर सकेंगे। 1 जनवरी, 2013 तक 22 आरआरबी का समामेलन 9 आरआरबी में किया जा चुका था।

पीएसबी में सुधरता हुआ समुत्थान

5.30 मंदन और उत्तोलन के उच्च स्तरों के कारण कुछ उद्योग तथा अवसंरचना क्षेत्र एनपीए में वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में समग्र एनपीए मार्च 2011 में प्रदत्त कुल ऋण के 2.36 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2012 में प्रदत्त कुल ऋण का 3.57 प्रतिशत हो गया (चित्र 5.2) यद्यपि एनपीए में सपाट वृद्धि रही है तथापि, यह बढ़त उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों के लिए विशेषरूप से तीव्र रही है जबकि प्रदत्त ऋण की प्रतिशतता मार्च 2011 में 1.91 प्रतिशत से बढ़कर सितम्बर, 2012 में 3.44 प्रतिशत के रूप में हो गयी है। विशेष रूप से दबाव के अधीनस्थ क्षेत्र में वस्त्र, रसायन, लोहा और इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, और दूरसंचार शामिल हैं।

5.31 आरबीआई आंकड़ों के अनुसार, पीएसबी के समग्र एनपीए (जीएनपीए) का बढ़ता हुआ रुझान विगत तीन वर्षों में ₹59,972 करोड़ (मार्च, 2010) से ₹71,080 करोड़ (मार्च, 2011), ₹1,12,489 करोड़ (मार्च, 2012), और ₹1,44,737 करोड़ (सितंबर, 2012) हो गया है। प्रदत्त की प्रतिशतता के रूप में एनपीए 2008-09 में 2.09 प्रतिशत की तुलना में सितंबर, 2012 में 4.01 प्रतिशत के सतर पर था। यद्यपि जीएनपीए में पद्धति स्तर पर वृद्धि हो गयी है, तथापि, पीएसबी का जीएनपीए अनुपात प्रबंध योग्य स्तरों पर अभी तक बना हुआ है। किन्तु उनकी द्रुत संवृद्धि

चित्र 5.2: बैंकिग क्षेत्र की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

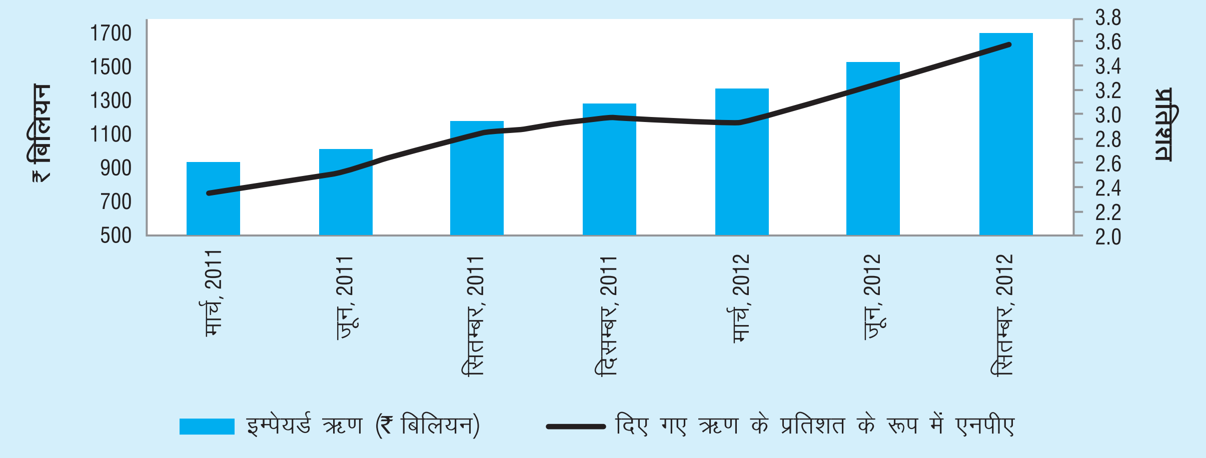

को तकनीकी कारणों से भले आंशिक रूप में ही, देखते हुए उनका गहन अनुवीक्षण किए जाने की जरूरत है।

5.32 बैंकों के एनपीए में में वृद्धि के मुख्य कारण (क) एनपीए की पद्धति आधारित पहचान का पीएसबी द्वारा अंतरण (ख) देश में वर्तमान वृहत् आर्थिक स्थिति, (ग) हालिया विगत समय में वर्धित ब्याज दरें; (घ) अल्पतर आर्थिक संवृद्धि; और (ङ) विशेषकर बेहतर समय में विगत दिनों में बैंकों द्वारा धड़ाधड़ उधार देना है। बढ़ते एनपीए पर ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ हालिया पहलकदमियों में (क) बैंकों के मुख्यालयों/आंचिलिक कार्यालयों में/प्रत्येक ऋण वसूली न्यायाधिकरण के लिए वूसली हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति; (ख) आस्तियों की हानि पर बैंकों द्वारा वसूली पर जोर; (ग) शुरू में चेतावनी संकेतों का ध्वनि-ग्रहण करते हुए और बैंकों द्वारा समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करते हुए एनपीए पर सघन निगरानी; (घ) राज्य सरकारों के साथ मामलों को सुलझाने में अति सक्रिय होने के लिए राज्यस्तरीय बैंकर समिति को निर्देशन; और (ङ) बैंकों के आस्ति पुन:निर्माण कंपनियां समाधान एजेंटों को उद्धिष्ट करना शामिल है। मौद्रिक नीति की दूसरी समीक्षा के अनुसारण में, आरबीआई ने निम्नलिखित सुधारात्मक उपायों की भी घोषणा की है।

- पुन:संरचित मानक खाता के लिए प्रावधान विद्यमान 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.75 प्रतिशत तक किया जाना है;
- 1 जनवरी 2013 से नए ऋणों/तदर्थ ऋणों की मंजूरी बैंकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के आधार पर दी जाएगी। बैंक एनपीए का क्षेत्र/कार्यकलाप वार विश्लेषण कराएंगे; बैंक आपात संकेत की शीघ्र पहचान वसूली कानूनों में संशोधनों; और ऋण मूल्यनिरूपण और ऋणोतर अनुवीक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए जोरदार तंत्र लागू करेंगे।

5.33 सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए उपायों से पीएसबी द्वारा एनपीएकी वसूली में सुधार हुआ है जो मार्च 2010 में ₹9,726 करोड़ से बढ़कर मार्च 2011 में 13,940 करोड़ और मार्च 2012 में ₹17,043 करोड़ हो गया है।

गैर बैंकिंग वित्त संस्थाएं (एनबीएफआई)

वित्त संस्थाएं (एफआई)

5.34 मार्चांत 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के रूप में चार संस्थाओं नामत: भारतीय आयात निर्यात बैंक, नावार्ड, राष्ट्रीय आवासन बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को विनियमित किया गया था। किसी वित्तीय संस्था द्वारा किसी भी समय पर जुटाए गए संसाधनों का बकाया जिसमें सावधि जमा राशियों, सावधि मुद्रा उधार रकमों, जमाराशि का प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, और इंटर कॉरपोरेट ऋणों जैसाकि आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया है, से मिलकर बनी अंब्रैला लिमिट के तहत जुटाई गई निधियों शामिल हों, इसके नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार उनके स्वामित्वाधीन निवल निधियों के 10 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि एनएचबी और एक्सिस बैंक द्वारा व्यक्त कठिनाइयों के मद्देनजर उनके सकल उधार सीमा की समीक्षा की गई है। तदनुसार एक्सिस बैंक की कुल उधार सीमा 31 अगस्त, 2013 तक की अवधि के लिए इसके स्वामित्वाधीन निवल निधि के 12 गुने तक बढ़ा दी गई है और एनएचबी के मामले में यह सीमा 30 सितम्बर 2012 तक की अवधि के लिए निवल स्वामित्वाधीन निधि के 11 गुने तक बढ़ाई गयी है। इन विनिर्दिष्ट लिखतों के जरिए कुल उधारों की अम्ब्रैला लिमिट संबंधित वित्त संस्था के नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार, इसके स्वामित्वाधीन निवल निधि के 100 प्रतिशत से किसी समय अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, एनएचबी, सिडबी, एक्सिस बैंक, और नाबार्ड द्वारा व्यक्त कठिनाइयों के मद्देनजर अम्ब्रैला लिमिट के तहत उनका उधार एक वर्ष की अवधि के लिए स्वामित्वाधीन निवल निधि के 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया (एनएचबी सिडबी, एक्सिस बैंक के लिए 30 जून, 2012 तक और नाबार्ड के लिए 31 दिसंबर 2012 तक) जो समीक्षाधीन है।

5.35 2011-12 में वित्त संस्थाओं द्वारा जुटाए संसाधन पिछले वर्ष में जुटाए संसाधनों से पर्याप्त रूप से अधिक थे। जहां जुटाए गए दीर्घकालिक संसाधनों और अल्पकालिक संसाधनों में 2011-12 के दौरान तीव्र वृद्धि देखी गयी वहां जुटाए गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में उसी समयावधि के दौरान गिरावट आई। एनएचबी ने विशालतम मात्रा में संसाधन जुटाए जिसने बाद नाबार्ड और सिडबी के संसाधनों का स्थान है। (सारणी 5.10)

5.36 वर्ष 2011-12 के दौरान संस्थाओं की निधियों के कुल स्रोत/अभिनियोजन में 42.8 प्रतिशत बढ़कर ₹4,25,182 करोड़ हो गये। निधियों का एक बढ़ा हिस्सा आंतरिक रूप से जुटाया गया, जिसके बाद विदेशी स्रोतों का स्थान है। जुटाई गई निधियों का अधिकांश हिस्सा नए अभिनियोजन के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद पिछली उधारियों की अदायगियों का स्थान रहा। अन्य अभियोजन जिनमें ब्याज अदायगियां शामिल हैं, वित्तीय संस्थाओं की निधियों का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा था (सारणी 5.11)।

5.37 एनबीएफसी समग्र वित्तीय प्रणाली की 12.7 प्रतिशत परिसंपत्तियों के लिए जिम्मेदार है। वित्त समोवशन के लिए प्रदत्त महत्व के बढ़ने से एनबीएफसी को लघु पैमाने के और फुटकर क्षेत्रों के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण मध्यवर्तियां माना जा रहा है। इस आधार पर कि क्या एनबीएफसी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करती है या नहीं, इनकी दो स्थूल श्रेणियां हैं, नामत: जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और जमाराशि

सारणी 5.10 : वित्त संस्थाओं द्वारा जुटाए संसाधन

(रकम करोड़ ₹ में)

		एक्सिम बैंक	नाबार्ड	एनएचबी	सिडबी	कुल
दीर्घकालिक	2010-11	11,132	9,741	7,538	11744	40155
	2011-12	10,100	17,914	9814	14648	52476
अल्प कालिक	2010-11	1,538	18,532	3380	5958	294708
	2011-12	4205	9,035	5215	4250	22705
विदेशी मुद्रा	2010-11	11,456	-	-	1700	13156
	2011-12	9,122	-	93	1980	11195
कुल	2010-11	24,126	28,273	10918	19402	82719
	2011-12	23427	26,949	15122	20878	86376
कुल बकाया	2011	47,192	33,891	22765	46331	150179
(मार्चांत)	2012	54,655	42,299	26980	53785	177719

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं

टिप्पणी : शून्य/मामूली

दीर्घकालिक रुपया संसाधनों में बाडों/ऋणपत्रों के रूप में उधार शामिल हैं; अल्पकालिक संसाधनों में सीपी, सावधि जमाएं, इंटरकारपोरेट जमाएं, सीडी और सावधि धन से उधार शामिल हैं। विदेशी मुद्रा में विश्व बाजार में व्यापक रूप से बांड और उधार शामिल हैं।

न लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी)। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की कुल संख्या, में लगातार गिरावट पंजीकरण के प्रमाण पत्रों के रद्द होने और जमा लेने के कार्य से उनके हट जाने के मुख्य कारण से देखी गयी। जमाराशि न लेने वाली व्यवस्थागत तौर पर महत्वपूर्ण एनबीएफसी (100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के परिसंपत्ति मूल्य वाले एनबीएफसी-एनडी-एसआई) की संख्या एससीबी की कुल जमा में सूचक एनबीएफसी (अवशिष्ट गैर बैककारी कंपनियों सहित) की जमा राशियों का अनुपात अवशिष्ट गैर बैंककारी कंपनियों की जमा राशियों में मुख्यत रूप से ह्रास के कारण पिछले वर्ष में 31 मार्च 2012 को 0.21 प्रतिशत से घटकर 0.15 प्रतिशत रह गया (सारणी 5.12)।

सारणी 5.11 : वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और नियोजन का पैटर्न

(₹ करोड़)

मद	2011		2012		प्रतिशत में बढ़त
	मूल्य	प्रतिशत शेयर	मूल्य	प्रतिशत शेयर	
क-निधियों के स्रोत	297784	100.0	425182	100.0	42.78
आंतरिक	163197	**54.8**	262263	**61.7**	60.7
बाह्य	119072	**40.0**	149529	**35.2**	25.57
अन्य @	15515	**5.2**	13390	**3.2**	-13.69
ख-निधियों का नियोजन	297784	100.0	425182	100.0	42.78
नया नियोजन	174674	**58.7**	273914	**64.4**	56.81
पिछले उधारों का पुनः भुगतान	83971	**28.2**	129044	**30.4**	53.67
अन्य नियोजन	39139	**13.1**	22222	**5.2**	-43.22
किसका ब्याज भुगतान	14227	**4.8**	14504	**3.4**	1.94

स्रोत : आरबीआई-संबंधित वित्त संस्थाएं (एक्सिस बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी)।
@ आरबीआई और अन्य बैंकों में जमा नकदी और बचत राशियां। प्रतिशत अंतर पूर्णांकन के कारण थोड़ा सा अलग हो सकता है।

सारणी 5.12 : भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या

जून-अंत	पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या	एनबी एफसी-डी की संख्या	एनबीएफसी एनडी-एसआई की संख्या
2006	13014	428	149
2007	12968	401	173
2008	12809	364	189
2009	12740	336	234
2010	12630	308	260
2011	12409	297	330
2012	12385	271	370

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

एएनबीएफसीडी

5.38 एनबीएफसी-डी (जिनमें आरएनबीसी शामिल हैं) की कुल परिसंपत्तियां पूर्ववर्ती वर्ष के 1,16,897 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 1,24,419 करोड़ रुपए हो गई। एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी द्वारा मिलाकर धारित सार्वजनिक जमाराशियों में 15.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जो पिछले वर्ष में 11,964 करोड़ रुपए से गिरकर 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 10,106 करोड़ रुपए रह गई। एनबीएफसी-डी (आरएनबीसी छोड़कर) के समेकित तुलन पत्र में मार्चान्त 2012 में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (पिछले वर्ष में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में)। उधार, जो एनबीएफसी-डी के लिए निधियों का मुख्य स्रोत हैं, में इस वर्ष के दौरान 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिसम्पत्तियों के पक्ष पर मार्चान्त 2012 में ऋणों और अग्रिमों में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि निवेशों में 24.8 प्रतिशत की कमी हुई।

5.39 वर्ष 2011-12 के दौरान, एनबीएफसी-डी के कुल अग्रिमों के प्रति जीएनपीए में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। श्रेणीवार आस्ति वित्त कम्पनियों तथा ऋण कम्पनियों के जीएनपीए तथा निवल एनपीए अनुपातों में विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान ह्रास हुआ। जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के प्रति पूंजी-अनुपात (सीआरएआर) के मानकों को 1998 में एनबीएफसी-डी पर प्रयोज्य किया गया था, जिनके द्वारा प्रत्येक एनबीएफसी-डी से यह अपेक्षित है कि वे टियर I और टियर II पूंजी वाली न्यूनतम पूंजी को अपनी सकल जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के कम से कम 15 प्रतिशत (31 मार्च 2011 तक 12 प्रतिशत) पर रखें। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष के 204 एनबीएफसी-डी में से 199 की तुलना में, 198 रिपोर्टिंग एनबीएफसी में से 187 का सीआरएआर 15 प्रतिशत से अधिक था।

एनबीएफसी-एनडी-एसआई

5.40 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के तुलनपत्र का आकार (पिछले वर्ष 7,61,282 करोड़ रूपये की तुलना में) 21प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2012 को 9,21,321 करोड़ रुपए हो गया। एनबीएफसी-एनडी-एसआई के तुलन पत्र के आकार में इस महत्वपूर्ण वृद्धि का श्रेय स्वामित्वाधीन निधियों, डिबेंचरों और बैंक उधारों में हुई तीव्र वृद्धि को जाता है। स्वामित्वाधीन निधियों (जो कुल देनदारियों का 26.1 प्रतिशत थी) में 2011-12 के दौरान 21.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्षेत्र के द्वारा कुल उधार (प्रतिभूत और अप्रतिभूत) तीव्रता से 29.3 प्रतिशत बढ़कर 6,39,830 करोड़ रुपए हो गए और ये 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार कुल देनदारियों के 69.4 प्रतिशत थे। जून, 2012 को समाप्त हुई अवधि के दौरान, कुल उधारों में 4.0 प्रतिशत की और वृद्धि होने से ये 6,65,728 करोड़ रुपए हो गए। मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा निधियों के परिनियोजन का पैटर्न मोटे तौर पर पिछले वर्ष के दौरान परिलक्षित पैटर्न के अनुरूप ही रहा। मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिभूत ऋणों का सबसे बड़ा हिस्सा (कुल परिसंपत्तियों का 48.7 प्रतिशत) बना रहा जिसके बाद अप्रतिभूत ऋण (15.3 प्रतिशत), किराया खरीद परिसंपत्तियां (6.8 प्रतिशत), निवेश (17.3 प्रतिशत) नकद और बैंक शेष (3. 9 प्रतिशत), और अन्य परिसंपत्तियां (7.9 प्रतिशत) रहीं।

5.41 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन में मामूली सा ह्रास हुआ जैसाकि 2011-12 के दौरान निवल लाभ में गिरावट में प्रतिबिंबित होता है। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार आरओए (कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ) 1.5 प्रतिशत रहा है। (विगत वर्ष में 2.1 प्रतिशत)। एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के सकल और निवल एनपीए अनुपातों में मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता में समग्र सुधार दर्शाते हुए सुधार देखा गया। मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में इस क्षेत्र का सकल एनपीए अनुपात 1.48 प्रतिशत रहा (पिछले वर्ष में यह 1.28 प्रतिशत था) जबकि इसी अवधि के दौरान निवल एनपीए अनुपात 0.88 प्रतिशत (पिछले वर्ष में 0.51 प्रतिशत) रहा।

5.42 सीआरएआर मानक अप्रैल 2007 से एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर प्रयोज्य किए गए थे। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक एनबीएफसी-एनडी-एस आई से यह अपेक्षित है कि वे टियर I और टियर II पूंजी वाली न्यूनतम पूंजी रखें जो उनकी सकल जोखिम भारित परिसम्पतियों का कम से कम 15 प्रतिशत हो। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार, कुछ कम्पनियों को छोड़कर, अधिकतर रिपोर्टिंग कम्पनियों ने 15 प्रतिशत सीआरएआर की निर्धारित न्यूनतम सीमा को कायम रखा।

प्रमुख नीतिगत पहलें

5.43 एनबीएफसी के विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे ने जमाराशियां न लेने वाली व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों

(एनबीएफसी-एनडी-एसआई) पर विशेष ध्यान के साथ विवेकसम्मत विनियमों पर ध्यान देना जारी रखा। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम निम्नानुसार है:-

(i) **एनबीएफसी-लघु वित्त संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआई): प्रावधानन मानदंड- समय का विस्तार और आशोधन:** एमएफआई क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों तथा बैंकों को उनसे प्राप्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी-एमएफआई के लिए आस्ति श्रेणीकरण तथा प्रावधानन मानदंडों के कार्यान्वयन को पहली अप्रैल 2013 तक आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

(ii) एकल उत्पाद-स्वर्ण आभूषण की प्रतिभूति पर उधार देना: चूंकि स्वर्ण आभूषणों के सम्पार्श्व के प्रति उधार देने में प्रबल रूप से रत एनबीएफसी में अंतर्हित सकेन्द्र जोखिम है तथा वे स्वर्ण कीमतों के प्रतिकूल उतार चढ़ाव के प्रति उद्भासित हैं; एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे सभी एनबीएफसी अब के पश्चात ऋण-मूल्य (एलटीवी) अनुपात का अनुसरण करेंगे जो स्वर्ण आभूषण के संपार्श्व के प्रति प्रदत्त ऋणों के 60 प्रतिशत से अधिक न हो, तथा

- अपने तुलनपत्र में ऐसे ऋणों की कुल आस्तियों में प्रतिशतता का प्रकटन करेंगे;
- पहली अप्रैल 2014 तक 12 प्रतिशत की न्यूनतम टियरों, पूंजी का अनुरक्षण करेंगे।
- सर्राफा/प्राथमिक स्वर्ण तथा स्वर्ण सिक्कों के प्रति कोई अग्रिम नहीं देंगे।

(iii) **मूल निवेश कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश 2011-सीआईसी निर्गमकर्ता गारंटियों संबंधी स्पष्टीकरण:** प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण मूल निवेश कम्पनियां (सीआईसी), जिनकी कुल आस्तियां व्यष्टि रूप से अथवा समूह में अन्य सीआईसी के साथ सकल रूप से 100 करोड़ रुपए से कम नहीं हैं, तथा जो सार्वजनिक निधियां जुटाती या धारित करती हैं, पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करेंगी।

(iv) **अवसंरचना ऋण निधियां (आईडीएफ):** भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 नवम्बर, 2012 को आईडीएफ-एनबीएफसी के विनियमन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए, दिशानिर्देशों के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ, आईडीफ-एनबीएफसी को एक वर्ष से अधिक समय में वाणिज्यिक प्रचालन कर रहे पीपीपी तथा पश्च वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) परियोजनाओं को शामिल करने वाले बांडों पर 50 प्रतिशत का जोखिम भार समनुदेशित करने की अनुमति है। इस संबंध में विनियमों में एक समानता लाने के उद्देश्य से, जोखिम भार में यह अपचयन ऐसी पीपीपी तथा पश्च सीओडी परियोजनाओं, जिन्होंने कम से कम एक वर्ष के संतोषजनक वाणिज्यिक प्रचालन पूरे कर लिए हैं, को शामिल करने वाली आस्तियों के लिए सभी अवसंरचना वित्त कम्पनियों (आईएफसी) पर लागू किया है।

(v) **गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी फैक्टर्स (रिजर्व बैंक) निर्देश 2012:** फैक्टरिंग व्यवसाय का संदर्भ प्राप्य वस्तुओं का ऐसी प्राप्य वस्तुओं के समनुदेशन द्वारा अधिग्रहण या उनके प्रति ऋणों या अग्रिमों द्वारा या ऐसी प्राप्य वस्तुओं पर प्रतिभूति हित के सृजन द्वारा वित्तपेषण करने से है किन्तु इसमें प्राप्य वस्तुओं इत्यादि की जमानत पर किसी बैंक द्वारा प्रदत्त सामान्य उधार शामिल नहीं है। एनबीएफसी की एक नई श्रेणी अर्थात् गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी फैक्टर्स की शुरूआत की गई है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में पृथक निवेश जारी किए गए हैं। इन निदेशों में यह उल्लेख है कि फैक्टरिंग व्यवसाय करने का आशय रखने वाली प्रत्येक कम्पनी एनबीएफसी- फैक्टर के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करेगी। इन निर्देशों में वर्णित सभी शर्तों को पूरा करने वाले विद्यमान एनबीएफसी भी अपने श्रेणीकरण में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनबीएफसी-फैक्टर से यह अपेक्षित होगा कि वह सीओआर प्रदान किए जाने की तिथि से छ: माह की अवधि के भीतर व्यवसाय आरम्भ करे। एनबीएफसी फैक्टर के रूप में पंजीकरण का अनुरोध करने वाली प्रत्येक कम्पनी के लिए एनओएफ न्यूनतम 5 करोड़ रुपए पर नियत किया गया है।

(vi) **प्रतिभूतिकरण लेनदेनों संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन:** प्रतिभूतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आस्तियों की बिक्री किसी दिवालिया दूरस्थ विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीबी) को तत्काल नकद भुगतान के बदले की जाती है। आस्तियों के अंतर्हित पूल से नकद प्रवाह का प्रयोग एसपीबी द्वारा निर्गत प्रतिभूतियों का शोधन करने के लिए किया जाता है। जबकि प्रतिभूतिकरण के प्रथम चरण पर तत्काल नकदी के बदले किसी दिवालिया दूरस्थ एसपीबी को एकल आस्ति या आस्ति समूह की बिक्री की जाती है, द्वितीय चरण में आस्ति या आस्ति समूह से आवक नकद प्रवाहों पर दावों के द्योतक प्रतिभूति हितों की पुन: पैकेजिंग तथा बिक्री तृतीय पक्ष के निवेशकों को व्यापार योग्य ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम द्वारा की जाती हैं। प्रतिभूतिकरण के इर्द-गिर्द अस्वस्थ पद्धतियों अर्थात प्रतिभूतिकरण के अनन्य प्रयोजनार्थ ऋणों का उद्गम को रोकने के लिए तथा उद्गमकर्ता के हित को निवेशकों के हित के साथ संरेखित करने के लिए एवं निवेशकों के एक व्यापक सप्तक को ऋण जोखिम का पुन: वितरण करने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया कि उद्गमकर्ता उद्भूत प्रत्येक प्रतिभूतिकरण के एक भाग को प्रतिधारित करें तथा ऋणों की अधिक प्रभावी संवीक्षा सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूतिकरण से पूर्व ऋणों की एक न्यूनतम प्रतिधारण

अवधि भी वांछनीय समझी गई ताकि निवेशक उद्‌गमकर्ता द्वारा क्रियान्वित सम्यक तत्परता के संबंध में अधिक सहज हो सकें।

पूंजी बाज़ार

प्राथमिक बाज़ार

5.44 वित्त वर्ष 2012-13 (31 दिसंबर 2012 तक) के दौरान प्राथमिक बाज़ार (इक्विटी निगम) के ज़रिए संसाधन जुटाने में ऊर्ध्वमुखी रुझान देखा गया (सारणी 5.13)। 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार इक्विटी पब्लिक इश्युओं के माध्यम से जुटाई गई संचयी राशि 13050 करोड़ रूपये थी। वर्ष 2012-13 के दौरान, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में 302 करोड़ रुपए के औसत आईपीओ आकार की 20 नई कम्पनियों (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश-आईपीओ) को सूचीबद्ध किया गया जिनके संसाधन संग्रहण का मूल्य 6043 करोड़ रूपये था। तथापि, कापोरेट ऋण श्रेणी के सार्वजनिक निर्गम में ऋण निर्गम के ज़रिए जुटाई गई पूंजी 2011-12 में 35,611 करोड़ रूपये की तुलना में 2012-13 में 4974 करोड़ रूपये रही थी।

म्यूचुअल फण्ड

5.45 दो वर्ष के मोचन दबावों के पश्चात, 2012-13 में म्यूचुअल फंडों द्वारा बाजार से 120269 करोड़ रुपए जुटाए गए (सारणी 5.14)। प्रबंधनाधीन आस्तियों का बाज़ार मूल्य 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 5,87,217 करोड़ रुपए की तुलना में 31 दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार 7,59,995 करोड़ रुपए था जो 29.4 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

द्वितीयक बाज़ार

5.46 भारतीय मूल सूचकांक अर्थात बीएसई तथा एनएसई 19426.7 तथा 5905.1 (31 दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार) पर बंद हुए जो 30 दिसम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार 15454.9 (संसेक्स) तथा 4624.3 (निफ्टी) के बंद मूल्य की तुलना में क्रमश: 25.70 प्रतिशत तथा 27.70 प्रतिशत की वृद्धि है। 9 फरवरी 2013 को माननीय वित्त मंत्री ने एमसीएक्स-एसएक्स द्वारा इक्विटी तथा इक्विटी व्युत्पाद खंड में कारोबार का उद्‌घाटन किया तथा एक्सचेंज ने इस खंडों में कारोबार आधिकारिक रूप से 11 फरवरी 2013 को आरम्भ किया।

सारणी 5.13 : प्राथमिक बाज़ार के जरिए संसाधन संग्रहण

(₹ करोड़)

	विधि	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13#
1.	ऋण	2500	9451	35611	4974
2.	इक्विटी	46736	48654	12857	13050
	जिसमें से आईपीओ	24696	35559	5904	6043
	आईपीओ की संख्या	39	53	34	20
	औसत आईपीओ आकार	633	671	174	302
3.	निजी नियोजन	212635	218785	261282	263644
4.	यूरो निर्गम (एडीआर/जीडीआर)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	जोड़ (1+2+3+4)	**261871**	**276890**	**309750**	**281667**

स्रोत : सेबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक (यूरो निर्गमों के लिए)
टिप्पणी : उ.न. का अर्थ है उपलब्ध नहीं।
31 दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार इक्विटी निर्गम में केवल इक्विटी सार्वजनिक निर्गम माने जाते हैं।
एडीआर अमरीकी निक्षेपागार प्राप्तियां हैं तथा जीडीआर वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां है।

सारणी 5.14 : म्यूचुअल फंडों द्वारा संसाधन संग्रहण (निवल) के रुझान

(₹ करोड़)

	क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13#
1.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	15653	-16636	-3184	10617
2.	सरकारी	12499	-13555	-3394	8746
3.	निजी	54928	-19215	-22024	100906
	जोड़ (1+2+3)	**83080**	**-49406**	**-28602**	**120269**

स्रोत: सेबी टिप्पणी: #31 दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार

5.47 इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (31 दिसम्बर 2012 तक), सूचकांकों में वृद्धि सेंसेक्स के लिए 11.62 प्रतिशत तथा निफ्टी के मामले में 11.51 प्रतिशत थी। प्रमुख एशियाई बाज़ारों में, भारतीय बाज़ारों का निष्पादन प्रतिफलों के अर्थ में सर्वोत्तम रहा है। बीएसई तथा एनएसई सूचकांक का वार्षिक उतार-चढ़ाव चित्र 5.3 में दर्शाया गया है।

5.48 वर्ष 2012 के दौरान देश में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के पुनरुत्थानशील प्रवाहों ने भारतीय बाज़ारों के वर्ष 2011 के उनके निराशाजनक निष्पादन से तीव्रता से सुधरते हुए वर्ष 2012 में विश्व के सर्वोत्तम निष्पादनकारी बाज़ारों में से एक बनने में सहायता की। एफआईआई अंतर्वाहों का कैलेंडर वर्षवार रूझान चित्र 5.4 में दिया गया है।

5.49 एफआईआई बाज़ारों में निवेश ऐसे बाज़ारों से प्रत्याशित प्रतिफलों की अपनी अवधारणाओं के आधार पर करते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, उनकी अवधारणाएं प्रवृत्त वृहद् आर्थिक माहौल, अर्थव्यवस्था की संवृद्धि संभाव्यता तथा प्रतिस्पर्धी देशों में कारपोरेट निष्पादन द्वारा प्रभावित होती हैं। दिसंबर 2012 के अंत में, 1759 एफआईआई सेबी में पंजीकृत थे जिससे पंजीकृत उपखातों की संख्या 6,359 हो गई। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों के कुल निवल अंतर्वाहों की राशि 2012 में 31.01

सारणी 5.15 विश्व के प्रमुख बाज़ारों का निष्पादन (स्तर तथा प्रतिशत परिवर्तन)

सूचकांक	2010 का अंतिम कारोबारी दिवस (31 दिसम्बर 2010)	2011 का अंतिम कारोबारी दिवस (30 दिसम्बर 2011)	2012 का अंतिम कारोबारी दिवस (31 दिसम्बर 2012)	2011 की तुलना में 2012 में प्रतिशत परिवर्तन
बीएसई सेंसेक्स	20509.09	15454.92	19426.71	25.7
एनएसई निफ्टी	6134.5	4624.3	5905.1	27.7
एस एण्ड पी 500	1257.64	1257.6	1426.19	13.4
डी ए एक्स	6914.19	5898.35	7612.39	29.1
एफटीएसई 100	5899.94	5572.28	5897.81	5.8
निक्की 225	10228.92	8455.35	10395.18	22.9
हांग सेंग	23035.45	18434.39	22656.92	22.9
ब्राजील बोवसस्पा	69304.81	56754.08	60952.08	7.4
कोसपी	2051	1825.74	1997.05	9.4
डिजिया	11577.51	12217.56	13104.14	7.3
स्ट्रेट्स टाईम्स	3190.04	2646.35	3167.08	19.7
शंघाई से सुयुक्त	2808.077	2199.417	2269.128	3.2
सी ए सी 40	3804.78	3159.81	3641.07	15.2

स्रोतः ब्लूमबर्ग

चित्र 5.3: सेंसेक्स तथा निफ्टी में वर्ष 2005 से वार्षिक घट बढ़

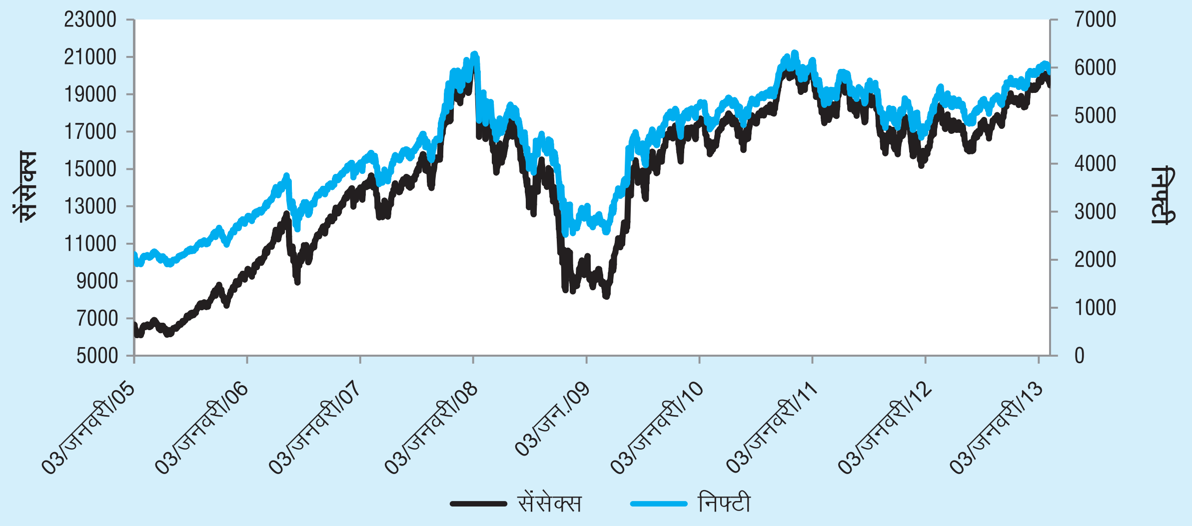

चित्र 5.4: निवल विदेशी संस्थागत निवेशक निवेश

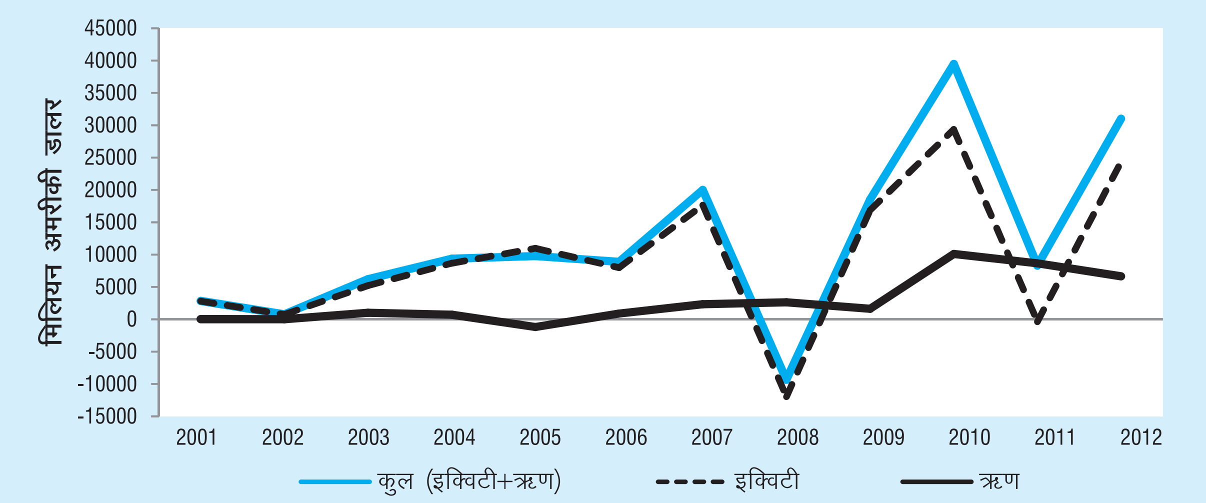

बिलियन अमरीकी डालर थी। ये अंतर्वाह अधिकांशतः इक्विटी अंतर्वाहों (कुल अंतर्वाहों का 80 प्रतिशत) द्वारा अभिप्रेरित थे जो उत्प्लावक बने रहे जिससे सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के तथा विशेष रूप से भारतीय बाज़ारों के निष्पादन में एफआईआई विश्वास निर्दिष्ट होता है। यूरो जोन क्षेत्र तथा संयुक्त राज्य में आर्थिक तथा राजनैतिक घटनाक्रमों का भारत सहित विश्व भर के बाज़ारों पर प्रभाव पड़ा। संयुक्त राज्य अमरीका में 'राजकोषीय असंतुलन' के समाधान का भारत समाहित सम्पूर्ण विश्व के बाज़ारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा हाल ही में आरम्भ किए गए सुधार उपायों का बाज़ारों में स्वागत किया गया है।

5.50 बाज़ार कारोबार में भी वर्तमान वर्ष के दौरान वृद्धि हुई है। इक्विटी बाज़ार के नकद खंड में बीएसई तथा एनएसई का कुल कारोबार 2011-12 में 6,67,498 करोड़ रुपए तथा 28,10,893 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान क्रमशः 4,10,230 करोड़ रुपए तथा 19,73,624 करोड़ रुपए था। (सारणी 5.16)

5.51 इक्विटी व्युत्पाद खंड में, एनएसई में 2011-12 के दौरान 3,13,49,732 करोड़ रुपए की तुलना में 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान 2,28,79,186 का कुल कारोबार परिलक्षित हुआ। बीएसई के इक्विटी व्युत्पाद खंड में कुल कारोबार 2011-12 (अप्रैल-दिसम्बर) में 57,4,593 करोड़ रुपए का था।

5.52 मुद्रा व्युत्पाद खंड में एनएसई में 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) में 37,25,842 करोड़ रुपए का कारोबार परिलक्षित हुआ। बहु जिंस एक्सचेंज (एम सी एक्स-एम एक्स) के मुद्रा व्युत्पाद के खंड में कारोबार 2012-13 (अप्रैल-दिसंबर) में ₹23,63,819 करोड़ रहा। इसके अलावा, यूनाइटेड स्टाक एक्सचेंज में ₹32,109 करोड़ का कारोबार इसी अवधि में देखा गया (सारणी 5.17)।

सारणी 5.16 बाज़ार कारोबार

(₹ करोड़)

बाज़ार	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13#
बीएसई				
नकदी	1378809	1105027	667498	410230
इक्विटी व्युत्पाद	234	154	808476	5741593
एनएसई				
नकदी	4138024	3577410	2810893	1973624
इक्विटी व्युत्पाद	17663665	29248221	31349732	22879486

स्रोत : बीएसई तथा एनएसई।
टिप्पणी : #31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार

सारणी 5.17 मुद्रा व्युत्पादों में रूझान

वर्ष	एनएसई		एमसीएक्स-एसएक्स		यूएसई	
	2011-12	2012-13#	2011-12	2012-13#	2011-12	2012-13#
संविदाओं की संख्या	9733	6772	7703	4272	3153	57
कारोबारी मूल्य (करोड़ ₹))	4674990	3725842	3732446	2363819	1488978	32109
औसत दैनिक कारोबारी मूल्य (करोड़ ₹)	18775	20140	14990	12777	5980	174

स्रोत : एनएसई, एमसीएक्स एसएक्स तथा यूएसई

टिप्पणी : *31 दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार

इक्विटी और मुद्रा व्युत्पाद बाजार में अस्थिरता

5.53 प्रतिभूति बाजारों में कारोबार की बढ़त के साथ-साथ निफ्टी और सेंसेक्स दोनों की अस्थिरता में गिरावट रही। 2010-12 (2 वर्ष) में बढ़ चुकी अस्थिरता पर्याप्त: सामान्य हो गई (सारणी 5.18)।

प्रधान नीतिगत पहलकदमियां

5.54 देश में विकसित होती बृहत् आर्थिक स्थिति तथा वैश्विक वित्तीय घटनाक्रमों के समग्र संदर्भ में सरकार ने आरबीआई तथा सेबी के गहन सहयोग से भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती पूंजीगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनेक पहलें की हैं। कुछ पहलें निम्नवत् हैं–

प्राथमिक बाज़ार

5.55 सेबी (वैकल्पिक निवेश निधियां) विनियम 2012: अविनियमित निधियों के नियमन का दायरा बढ़ाने, व्यवस्थागत स्थिरता सुनिश्चित करने, बाजार कार्यकुशलता बढ़ाने, नया पूंजी निर्माण प्रोत्साहित करने, और निवेशक सुरक्षा प्रदान करने के विचार से सेबी ने नए विनियम अधिसूचित किए हैं जिनमें वैकल्पिक निवेश निधियां तीन प्रधान श्रेणियों में शामिल की गई हैं:

सारणी 5.18 : भारतीय इक्विटी बाज़ार में साप्ताहिक आय की अस्थिरता

सूचकांक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13#
निफ्टी	3.8	2.5	2.9	1.8
निफ्टी जूनियर	4.5	2.7	2.9	2.0
संसेक्स	3.6	2.5	2.9	1.8
बीएसई 500	3.9	2.4	2.8	1.8

स्रोत : बीएसई तथा एनएसई।

टिप्पणी : *31 दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार

- **श्रेणी 1:** अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक अवशिष्ट प्रभाव डालने वाली वैकल्पिक निवेश निधियां जिनके लिए सेबी या भारत सरकार या भारत में अन्य विनियामकों द्वारा कतिपय प्रोत्साहनों या रियायतों पर विचार किया जा सकता है, और जिसमें उद्यम पूंजी निधियां, लघु और मझोले उपक्रम निधियां, समाज उद्यम निधियां, और अवसंरचनागत निधियां शामिल होंगी।
- **श्रेणी 2:** वैकल्पिक निवेश निधियां जिनके लिए सरकार या किसी अन्य विनियामक द्वारा कोई विशिष्ट प्रोत्साहन या रियायतें नहीं दी जातीं; जो इन विनियमों में यथा अनुमत दैनंदिन प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने से भिन्न कार्य शुरू नहीं करेंगी।
- **श्रेणी 3:** वैकल्पिक निवेश निधियां में ऐसी निधियां (बचाव निधियों सहित) जिनमें नकारात्मक बाह्यताएं शामिल समझी जाती हैं।

5.56 भारतीय कारपोरेट बांड बाजारों को विकसित करने हेतु शुरू की गई हालिया पहलों का सारांश बाक्स 5.2 में दिया गया है।

5.57 **वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् उपसमिति के तत्वावधान में सहक्रियावादी ढंग से वित्तीय ज्ञान के संवर्धन के उद्देश्य से राष्ट्रीय वित्त ज्ञान नीति को प्रतिपादित किया गया है तथा उस पर लोक परामर्श लिया गया है। दस्तावेज अंतिम रूप दिए जाने के चरण में है।

5.58 **भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों में द्विमुखी प्रतिमोच्यता:** 2012-13 की बजटीय घोषणा के अनुसार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (1 अक्तूबर, 2012), आरबीआई और सेबी (28 अगस्त, 2012) ने विद्यमान कानूनी ढांचे में संशोधन किए हैं ताकि भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों में दुहरी प्रतिमोच्यता सुकर की जा सके।

बॉक्स 5.2: कारपोरेट बांड बाजारों के और अधिक विकास की हालिया पहलकदमियां

- कारपोरेट बांड बाजारों में मालिकाना लेनदेनों को प्रारंभ करने के प्रयोजन से सेबी अनुमोदित स्टाक एक्सचेंजों में सीमित सदस्यता लेने हेतु बैंकों को अनुमति देना।
- कारपोरेट बांड बाजारों में नकदी बढ़ाने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने रिपो बाजार में उधार लेने के वास्ते बीमा कंपनियों को अनुज्ञा दी है। इरडा ने ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस) के प्रयोक्ता बनाने के लिए भी बीमा कंपनियों को अनुज्ञा दी है।
- मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूतियां बाजार संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति से परामर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि कारपोरेट ऋण रिपो में एएए/एए+/एए- दर निर्धारित कारपोरेट बांडों के लिए न्यूनतम कटौती अपेक्षा को वर्तमान 10 प्रतिशत/12 प्रतिशत/15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत/8.5 प्रतिशत/10 प्रतिशत किया जाए।
- म्युचुअल फंडों को कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों की ऋण चूक अदला बदली में प्रयोक्ताओं के तौर पर भाग लेने हेतु अनुमत किया गया है। म्युचुअल फंड संदर्भ बाध्यताओं जो एक साल से अधिक की अवधि वाली नियत परिपक्वता योजना स्कीमों के पोर्टफोलियो के अंतर्गत संगठित हों, के रूप में पात्र प्रतिभूतियों के लिए सीडीएस के प्रयोक्ता के तौर पर भाग ले सकते हैं।
- आरबीआई द्वारा कंपनी बांड के लिए सीडीएस विषयक संशोधित दिशानिर्देश में व्यवस्था है कि सूचीबद्ध कंपनी बांडों के अलावा, सीडीएस अवसंरचनागत कंपनियों से भिन्न मामलों के लिए भी असूचीबद्ध परंतु दर निर्धारित कंपनी बांडों में अनुमत किया जाएगा। मूल्य-खोज में पारदर्शिता, और कारोबारी खण्डों में वृद्धि अभिप्रेरण के लिए बाजार अवसंरचना को सुधारने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- प्रयोक्ताओं को परस्पर सम्मत या भारतीय नियत आय मुद्राबाजार और व्युत्पाद संघ (आईएमएमडीए) कीमत पर मूल सुरक्षा विक्रेता के साथ उनके सीडीएस की स्थिति को प्रकट करने की अनुमति होगी। समझौता न किए जाने पर यह प्रकटन मूल सुरक्षा विक्रेता के साथ एफआईएमएमडीए कीमत पर किया जाता है
- सीडीएस एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाली सीपी, जमा प्रमाणपत्रों, और एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाले गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों जैसी प्रतिभूतियों में संदर्भ/प्रदाययोग्य बाध्यताओं के रूप में अनुमत होगा।

द्वितीयक बाजार

राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना

5.59 सरकार ने 23 नवम्बर, 2012 को राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना (आरजीईएसएस) नामक एक नई कर बचत योजना अधिसूचित की है, जो अन्नय रूप से प्रतिभूति बाजार में नये खुदरा निवेशकों के लिए है। यह योजना नये निवेशकों जो रु. 50,000 तक निवेश करते हैं और जिनकी वार्षिक आय रु. 10 लाख से कम है, का उस वर्ष के लिए कर योग्य आय में निवेशित राशि की 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध कराती है। सेबी द्वारा परिचालन दिशानिर्देश 6 दिसंबर 2012 को जारी किये गए (बॉक्स 5.3)।

शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों हेतु इलैक्ट्रानिक मतदान सुविधा अनिवार्य की गई

5.60 जैसाकि केन्द्रीय बजट 2012-13 में अधिदेशित था कि शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियां अपने शेयरधारकों को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा देंगी, सेबी ने इस संदर्भ में 13 जुलाई 2012 को आवश्यक संशोधन किये, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा इक्विटी सूचीयन करार में समाविष्ट किया जाना है। शुरुआत में, बाजार पूंजीकरण पर आधारित, इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग बीएसई और एनएसई में शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए उन व्यवसायों के संदर्भ में अब अनिवार्य है, जिनके सौदे डाक मत के माध्यम से किए जाते हैं।

एसएमई एक्सचेंज/मंच

5.61 बीएसई तथा एनएसई में क्रमशः मार्च 2012 तथा सितम्बर 2012 में एसएमई के लिए पृथक कारोबार मंच शुरू किये गए तथा प्रचालनरत हुए। 14 जनवरी, 2013 को बीएसई तथा एनएसई एसएमई मंचों पर सूचीबद्ध इक्विटियां की संख्या क्रमशः 12 और 2 है।

नकद परिदाय लेनदेनों के लिए कम किया गया प्रतिभूति लेनदेन कर

5.62 केन्द्रीय बजट 2012-13 में घोषणा का अनुसरण करते हुए, 1 जुलाई 2012 से प्रभावी, प्रतिभूति कारोबार कर (एसटीटी) की दर नकद बाजार में परिदाय आधारित लेनदेनों के लिए 0.125 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कम कर 0.1 प्रतिशत कर दी गई है।

स्टॉक एक्सचेंजों, समाशोधन निगमों, तथा निक्षेपागारों के स्वामित्व तथा अभिशासन के लिए विनियामक रूपरेखा

5.63 डॉ॰ बिमल जालान समिति की सिफारिशों पर आधारित, नये प्रतिभूति संविदा (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज तथा समाशोधन निगम) विनियम 2012 स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों में मान्यता, स्वामित्व तथा अभिशासन को विनियमित करने के लिए 20 जून 2012 को अधिसूचित किये गए। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार तथा भागीदार) (संशोधन) विनियम 2012 निक्षेपागारों के स्वामित्व तथा अभिशासन नियमों को विनियमित करने के लिए 11 सितम्बर 2012 से प्रभावी किये गए।

बॉक्स 5.3: आरजीईएसएस

राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना (आरजीईएसएस) उन नए निवेशकों को अधिकतम ₹50,000 तक निवेशों के लिए, कर लाभ देगी जिनकी वार्षिक आय ₹10 लाख तक है, निवेशक को उस वर्ष के लिए कर योग्य आय में से निवेशित राशि की 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। योजना की मुख्य विशेषतायें निम्न हैं:

- यह योजना स्थायी खाता संख्या के आधार पर अभिज्ञात नये खुदरा निवेशकों के लिए है।
- अनुमत कर छूट आयकर अधिनियम की धारा 80ग के तहत स्वीकृत/अनुमत ₹1 लाख की सीमा से अतिरिक्त होगी।
- निवेशों के लिए 50 प्रतिशत कर छूट के अलावा, लाभांश आय भी कर मुक्त है।
- अन्नय आरजीईएसएस डीमैट खाते में ₹50,000 तक के निवेश के लिए, यदि निवेशक बुनियादी सेवा डीमैट खाते का चयन करता है, तो डीमैट खाते के लिए वार्षिक रखरखाव प्रभार शूल्य हैं तथा ₹2 लाख तक के निवेशकों के लिए ₹100 हैं।
- बीएसई 100 या सीएनएक्स 100 के तहत सूचीबद्ध स्टॉक था सरकारी-क्षेत्रक उपक्रमों (पीएसयू) जो नवरत्न, महारत्न और मिनीरत्न कम्पनियां हैं, के स्टॉक योजना के तहत पात्र होंगे। इन कंपनियों की अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशें (एफपीओ) भी पात्र होंगी।
- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, जो संबंधित वित्त वर्ष में सूचीबद्ध करने के लिए अनुसूचित किए गये हैं और जिनका वार्षिक कारोबार तात्कालिक पूर्व तीन वर्षों में प्रत्येक के लिए ₹4000 करोड़ से कम नहीं है, भी पात्र होंगे।
- एक्सचेंज-व्यापारित निधियां (ईटीएफ) और म्यूचल फंड जिनकी अंतर्हित आरजीईएमएम-पात्र प्रतिभूतियां हैं तथा जो सूचीबद्ध हैं तथा जिनका स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार होता है तथा जिनका निपटान निक्षेपागार प्रक्रम के माध्यम से किया जाता है, को भी विविधीकरण का लाभ तथा परिणामस्वरूप जोखिम न्यूनीकरण का लाभ प्रदान करने के लिए आरजीईएमएम के तहत लाया गया है।
- लघु निवेशकों को लाभ के लिए, उस वर्ष में जिसमें कर दावे किये गए हों, निवेश किश्तों में अनुमत है।
- निवेशों के लिए कुल अवरुद्धता अवधि तीन वर्ष होगी जिसमें एक वर्ष की प्रारंभिक सर्वव्यापी अवरुद्धता अवधि शामिल है।
- प्रथम वर्ष के पश्चात्, निवेशकों को प्रतिभूतियों में कारोबार की अनुमति होगी। निवेशक निवेश के प्रथम वर्ष के पश्चात् के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में लगभग 90 दिनों के लिए अपने पोर्टफोलियो का कारोबार/आलोढन करने के लिए मुक्त है।
- तथापि, निवेशकों को इन दो वर्षों के दौरान वर्ष में कम से कम 270 दिनों के लिए अपना निवेश स्तर उसी राशि पर बनाए रखना है जिसके लिए उन्होंने आय कर लाभ का दावा किया पर या विक्रय लेनदेन प्रारंभ करने से पहले पोर्टफोलिया के मूल्य पर बनाए रखना है,जो भी कम हो।
- कारोबार अनुमत किए जाने का सामान्य सिद्धांत यह है कि आरजीईएसएस पोर्टफोलियों से निवेशक द्वारा विक्रय किये गए स्टॉकों/यूनिटों का जो भी मूल्य हो, कम से कम उसी मूल्य की आरजीईएसएस-अनुपालन प्रतिभूतियां बाद में खाते में वापस जमा करा दी जाती हैं। तथापि, निवेशक को अपने आरजीईएसएस पोर्टफोलिया`की मूल्यवृद्धि का लाभ उठाने की अनुमति है, बशर्ते इसका मूल्य उस निवेश जिसके लिए वह आय कर लाभ का दावा करता है, से अधिक हो।
- यदि निवेशक अनुबंधित शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो कर लाभ वापस ले लिये जायेंगे। योजना के व्यापक प्रावधान और इसके अंतर्गत कर लाभ आय कर अधिनियम 1961 की एक नई धारा 80गगछ के रूप में वित्त अधिनियम 2012 के द्वारा संशोधित के अनुसार पहले की समाविष्ट कर दिए हैं। सेबी द्वारा 6 दिसम्बर, 2012 को परिचालन दिशानिर्देश किए गए।

विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक उधारों को आकर्षित करने हेतु पहलें

अर्हक विदेशी निवेशक योजना का विस्तार

5.64 बजट 2011-12 में, सरकार ने पहली बार अर्हक विदेशी निवेशकों को, जो अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) शर्तों को पूरा करते हैं, भारतीय म्यूचल फंडों में प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने की स्वीकृति प्रदान की। जनवरी, 2012 में, सरकार ने अर्हक विदेशी निवेशकों को भारतीय इक्विटी बाजारों में प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने की अनुमति देने के लिए इस योजना को विस्तृत किया। योजना को आगे बढ़ाते हुए, जैसाकि बजट 2012-13 में घोषित किया था, अर्हक विदेशी निवेशकों को नैगम ऋण प्रतिभूतियों और एमएफ ऋण योजनाओं में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र संपूर्ण उच्चतम सीमा के अधीन निवेश की मंजूरी भी दी गई है। मई 2012 में, अर्हक विदेशी निवेशकों को उन प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए, जिनमें निवेश के लिए वे पात्र हैं, निधियां प्राप्त करने तथा भुगतान करने के लिए भारत में प्राधिकृत डीलर बैंकों में व्यक्तिगत ब्याज रहित रुपया बैंक खाते खुलवाने की अनुमति दी गई। जून 2012 में, खाड़ी सहयोग परिषद् (जीसीसी) और यूरोपीय आयोग (ईसी) के सदस्य देशों के निवासियों को शामिल करने के लिए अर्हक विदेशी निवेशक की परिभाषा को विस्तृत किया गया था क्योंकि जीसीसी और ईसी वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल (एफएटीएफ) के सदस्य हैं।

एफआईआई निवेश को आकर्षित करने के लिए पहलें

5.65 जहां तक ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई निवेश का संबंध है, विभिन्न ऋण वर्गों में निवेशों के लिए परिमाणात्मक सीमाओं

में क्रमिक वृद्धि हुई है। जून 2012 में, जी-सैक (सरकारी प्रतिभूतियां) में निवेश के लिए एफआईआई की सीमा, उच्चतम सीमा को 20 बिलियन अमरीकी डॉलर करके, 5 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ा दी गई थी। दीर्घावधि अवसंरचना बांडों में एफआईआई निवेश के लिए योजना को अवरुद्धता-अवधि और अवशिष्ट परिपक्वता अवधि मानदंड में क्रमिक कमी करके आकर्षक बना दिया गया है। नवम्बर 2012 में, जी-सैक और नैगम बांडों (गैर-अवसंरचना वर्ग) में एफआईआई निवेश की सीमा में प्रत्येक में 5 बिलियन की और वृद्धि की गई जिससे एफआईआई निवेश की कुल सीमा जी-सैक में 25 बिलियन अमरीकी डॉलर और नैगम बांडों (अवसंरचना+गैर-अवसंरचना) में 51 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। एफआईआई ऋण आवंटन प्रक्रिया को भी विदेशी निवेशकों के बीच बृहत्तर निश्चितता लाने और अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियों प्रबंधन परम्पराओं के साथ समानुरूपता में उनके पोर्टफोलियों आवधिक रूप से पुन: संतुलित करने में उनकी सहायता करने के लिए पुनरीक्षा की गयी है।

2012-13 के दौरान विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति में उदारीकरण

5.66 विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति उदारीकरण के क्षेत्र में किये गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्न शामिल हैं:

- विद्युत क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए ईसीबी के माध्यम से रुपया ऋणों का पुन: वित्तपोषण करने की सीमा बढ़ाकर 40 प्रतिशत की गई।
- सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कर प्रणालियों के रखरखाव तथा परिचालन पर जब तक वे मूल परियोजना का भाग हैं, कतिपय शर्तों के अधीन, और कम लागत की आवासी परियोजनायों के लिए भी पूंजी व्यय के लिए ईसीबी की अनुमति।
- ईसीबी पर ब्याज भुगतानों के लिए तीन वर्षों (जुलाई 2012-जून 2015) की अवधि के लिए विदहोल्डिंग कर को 20 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करना।
- विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों की कंपनियों के लिए 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की एक नई ईसीबी योजना शुरू करना।
- अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को कतिपय शर्तों के अधीन उधार देने हेतु ईसीबी प्राप्त करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को एक उधारकर्ता के रूप में अनुमति देना।
- राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)/आवास वित्त कंपनियों को कम लागत/किफ़ायती आवासीय ईकाईयों के भावी मालिकों के वित्तपोषण के लिए ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति।

भारत का सरकारी ऋण दर निर्धारण

5.67 भारत का सरकारी ऋण सामान्यत: छह मुख्य सरकारी ऋण दर निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दर निर्धारित किया जाता है (सारणी 5.19)। ये फिच रेटिंगस, मूडीज इनवेस्टर सर्विस, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी), डोमिनियन बांड रेटिंग सर्विस (डीबीआरएस), जापानी क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी (जेसीआरए), और रेटिंग एंड इंवेस्टमेन्ट इंफार्मेशन इंक, टोकियो (आर एंड आई) हैं। सरकार मुख्य एससीआरए के साथ परस्पर तालमेल को सुधारने के लिए अनेक उपाय कर रही है ताकि वे जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकें।

वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद्

5.68 वित्तीय स्थिरता बनाये रखने, अंतर-विनियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय-क्षेत्रक विकास के उत्थान के लिए तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा सांस्थानीकरण के उद्देश्य, सरकार ने जी20 पहल की रूपरेखा पर, दिसंबर 2010 में एक स्तरीय वित्तीय स्थिरता एवं

सारणी 5.19 : 15.1.2013 की स्थिति के अनुसार दर निर्धारण अभिकरणों द्वारा समनुदेशित सरकारी दर निर्धारण

दर निर्धारण अभिकरण	दर निर्धारणों की पुष्टि की तिथि	विदेशी मुद्रा		स्थानीय मुद्रा	
		दर निर्धारण	दृष्टिकोण	दर निर्धारण	दृष्टिकोण
जेसीआरए	30.11.2012	बीबीबी+	स्थिर	स्थानीय मुद्रा के लिए कोई दर निर्धारण नहीं दिए गए।	
मूड़ीज	26.11.2012	बीएए3	स्थिर	बीएए (बीए 1 से उन्नयनित)	स्थिर
आर एवं आई	22.11.2012	बीबीबी(एलटी)ए-2 (एसटी)	स्थिर	स्थानीय मुद्रा के लिए कोई दर निर्धारण नहीं दिए गए।	
डीबीआरएस	06.08.2012	बीबीबी (निम्न) (एलटी)	स्थिर	बीबीबी (निम्न) (एलटी)	स्थिर
फिच	15.06.2012	बीबीबी-(एलटी)एफ3 (एसटी)	ऋणात्मक	बीबीबी-	स्थिर
एस एवं पी	25.04.2012	बीबीबी-(एलटी) ए-3 (एसटी)	ऋणात्मक	स्थानीय मुद्रा के लिए कोई दर निर्धारण नहीं दिए गए।	

विकास परिषद् (एफएसडीसी) की स्थापना की है। परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं और वित्त-क्षेत्र विनायमक प्राधिकरणों के प्रमुख, वित्त सचिव और/या सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग और मुख्य आर्थिक सलाहकार इसके सदस्य हैं। विनियामकों की स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् अर्थव्यवस्था के बृहत-विवेकाधीन पर्यवेक्षण को मॉनीटर करती है जिसमें बड़े वित्तीय समूहों की कार्यप्रणाली शामिल है, तथा अंतर-विनियामक सहयोग तथा वित्तीय-क्षेत्र विकास मुद्दों का समाधान करती है। यह वित्तीय शिक्षा तथा वित्तीय समावेशण पर भी ध्यान देती हैं।

बीमा तथा पेंशन निधियां

बीमा

5.69 बीमा क्षेत्र के प्रारंभ के समय से, बीमा उद्योग में प्रतिभागियों की संख्या वर्ष 2000 में सात बीमाकर्ताओं (जिनमें भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी सहित), चार सरकारी-क्षेत्रक सामान्य बीमाकर्ता, एक विशेषज्ञताप्राप्त बीमाकर्ता, और साधारण बीमा निगम राष्ट्रीय पुन: बीमाकर्ता के रूप में शामिल हैं, से बढ़कर 30 सितम्बर 2012 को 52 बीमाकर्ता हो गयी है जो जीवन, जीवन-भिन्न और पुन: बीमा खण्डों (विशेषज्ञ बीमाकर्ता नामत: निर्यात ऋण गारंटी निगम तथा कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) शामिल हैं) में प्रचालन कर रहे हैं। चार साधारण बीमा कंपनियां जैसे स्टार हैल्थ एंड अलाइंस इन्शोरेंस कंपनी अपोलो मुनिच हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी, मैक्स बूपा हैल्थ इंशोरेंस कंपनी, तथा रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के रूप में कार्य करती हैं। 23 बीमा कंपनियों में से जिन्होंने अपने परिचालन जीवन खण्ड में क्षेत्र के शुरू होने के पश्चात् शुरू कर दिए हैं, 21 विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम में हैं। 21 निजी बीमाकर्ताओं में से जिन्होंने जीवन भिन्न खण्ड में परिचालन शुरू कर दिये हैं, 18 विदेशी भागीदारों के साथ सहयोगी हैं।

जीवन बीमा

5.70 वित्त वर्ष 1999-2000 तक जीवन बीमा के एक मात्र प्रदाता होने के बाद से एलआईसी आज इस उद्योग में निजी क्षेत्र की उन 23 बीमा कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर रही है जिन्होंने 2000-12 की अवधि में अपना कार्य शुरू किया है। 1996-97 से 2000-01 की अवधि के दौरान 19.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले इस उद्योग ने इसके खोले जाने के बाद 2001-02 से 2011-12 के दौरान 18.85 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। जीवन बीमाकर्ताओं ने 2010-11 के 1,26,381 करोड़ रुपए की तुलना में 2011-12 में 1,13,942 करोड़ रुपए का नया बीमा कारोबार किया जो 9.85 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। इस नए बीमा कारोबार में जीवन बीमा निगम 81,862.25 का करोड़ रुपये (71.85 प्रतिशत बाजार हिस्सा) और निजी बीमाकर्ताओं का 32,079.92 करोड़ रुपये (28.15 प्रतिशत बाजार हिस्सा) का कारोबार रहा। इन बीमाकर्ताओं का बाजार हिस्सा 2010-11 की तदनुरूपी अवधि में क्रमश: 68.84 प्रतिशत और 31.16 प्रतिशत था।

जीवन-भिन्न बीमा

5.71 इस उद्योग, जिसने 1996-97 से 2000-01 की अवधि के दौरान लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर सूचित की थी, ने इस क्षेत्र के खोले जाने के बाद से 2001-02 से 2011-12 की अवधि में 15 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि सूचित की है। इसके अलावा, विशिष्टीकृत बीमाकर्ताओं निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम और कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) क्रमश: क्रेडिट गारंटी और फसल बीमा प्रदान कर रही है। गैर जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा लिया गया प्रीमियम 2010-11 के 42,576 करोड़ रुपए के मुकाबले 2011-12 में 52,875.8 करोड़ रुपए था, इस प्रकार 24.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। यह वृद्धि विशेष रूप से टैरिफ दरों में की गई बड़ी कटौतियों को देखते हुए सन्तोषजनक थी। निजी बीमाकर्ताओं ने 2010-11 के 17,424.6 करोड़ रुपए के मुकाबले 22,315.03 करोड़ का बीमा प्रीमियम लिया और 2010-11 के 24.7 प्रतिशत के मुकाबले 28.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। दूसरी तरफ, सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 2010-11 में 25,151.8 करोड़ रुपए की तुलना में 2011-12 में 30,560.74 करोड़ रुपए का बीमा प्रीमियम लिया अर्थात 2010-11 में 21.8 प्रतिशत की तुलना में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2011-12 में सरकारी और निजी बीमाकर्ताओं का बाजार हिस्सा पिछले वर्ष के 59.07 और 40.93 के मुकाबले 57.80 और 42.20 प्रतिशत के स्तर पर रहा।

बीमा व्याप्ति

5.72 अन्तरराष्ट्रीय तौर पर बीमा क्षेत्र का विकास बीमा व्याप्ति के मापदण्ड के आधार पर मापा जाता है। बीमा व्याप्ति को किसी निर्धारित वर्ष में जीडीपी के प्रति हामीदारी किए गए प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। बीमा घनत्व दूसरा जाना पहचाना बैंचमार्क है और इसे किसी निर्धारित वर्ष में कुल आबादी के प्रति हामीदारी किए गए प्रीमियम के अनुपात के रूप में (तुलना की सुविधा हेतु अमरीकी डालर में मापित) परिभाषित किया जाता है। भारतीय बीमा कारोबार विगत में व्याप्ति के निम्न स्तर के चलते अल्पविकसित रहा है। उदारीकरण के बाद यह क्षेत्र बीमा व्याप्ति का स्तर वर्ष 2001 के 2.7 (जीवन बीमा 2.15 और गैर-जीवन 0.56)से बढ़ाकर 2011 में 4.1 (जीवन बीमा 3.4 और गैर-जीवन 0.7) करने में सफल हुआ।

5.73 बीमा क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद जो कि पिछले कुछ दशकों में दर्ज की गई थी, बीमा व्याप्ति और घनत्व विश्व के अन्य विकासशील देशों के मुकाबले कम बना रहा। यह पाया गया कि विभिन्न विधायी प्रावधान अप्रचलित थे और बदलती बाजार परिस्थितियों की रूप रेखा पर बदलाव की जरूरत थी। तदनुसार, सरकार ने 22 दिसंबर 2008 को बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2008 राज्य सभा में प्रस्तुत किया। स्थायी समिति की सिफारिशों पर आधारित, बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2008 के अधिकारिक संशोधनों को यथाशीघ्र लागू किया जाना प्रस्तावित है।

पेंशन क्षेत्र

5.74 नई पेंशन योजना (एनपीएस) नए भर्ती व्यक्तियों के लिए लागू की गई थी जिन्होंने सरकारी सेवा 1 जनवरी को या उसके बाद आरम्भ की। 5 जनवरी 2013 तक ₹26,189 करोड़ की संचित धनराशि के साथ कुल 42.17 लाख ग्राहकों का नामांकन किया गया है। 1 मई 2009 से, एनपीएस को भारत में सभी नागरिकों के लिए खोला गया जो ऐच्छिक रूप से जुड़ना चाहते हों। यद्यपि एनपीएस शायद देश में उपलब्ध सबसे सस्ते वित्तीय उत्पादों में से एक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए इसे किफ़ायती बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने सितम्बर, 2010 में कम लागत वाला रुपांतर लागू किया जिसे स्वावलंबन योजना के रूप में जाना जाता है, जिसने लोगों के समूहों को पर्याप्त कम लागत पर एनपीएस से जुड़ने में सक्षम बनाया। एनपीएस के तहत विद्यमान योजना के अनुसार, स्वावलंबन का फायदा असंगठित क्षेत्र या एनपीएस लाइट में उठाया जा सकता है। एनपीएस विशिष्ट रूप से निर्मित्त एक ढांचा है जिससे एनपीएस समाज के आर्थिक रूप से लाभ वंचित लोगों की पहुंच में सुगमता से आ सके। एनपीएस लाइट अत्याधिक किफायती तथा व्यवहार्य है जिसका कारण कम प्रभारों पर उपलब्ध इसकी इष्टतम कार्यप्रणालियां हैं। स्वावलंबन योजना के तहत, सरकार प्रत्येक एनपीएस खाता धारक को सब्सिडी उपलब्ध कराती है और योजना को 2016-17 तक लागू किया गया है। मूल एनपीएस मॉडल का एक परिवर्तित रूप जिसे एनपीएस कॉरपोरेट सेक्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है जिससे संगठित क्षेत्र के निकायों को अपने विद्यमान और भावी कर्मचारियों को एनपीएस की सुविधा देने के लिए इसके कॉरपोरेट मॉडल के तहत लाया जा सके, को भी दिसंबर 2011 से प्रारम्भ किया गया। सभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे व्यक्तिगत ग्राहक को ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने हेतु अपनी वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करायें।

चुनौतियां तथा दृष्टिकोण

5.75 भारत ने वित्तीय बाजारों के सुधार की प्रक्रिया विलंब से शुरू की है। फिर भी 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में, सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों को धारण कर देश के वित्तीय क्षेत्र को उदार, नियंत्रित तथा विकसित बनाने के उपायों से बना एक सुधार पैकेज लागू किया गया। इन सुधारों के परिणाम उत्साहजनक रहे और अब देश में बाजार दक्षता, पारदर्शिता, और मूल्य खोज प्रक्रिया के अनुसार एक अत्यधिक अनुवादी और पारदर्शी पूंजी बाजार है। तथापि, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के विकास में कुछ चुनौतियां अभी भी हैं जिनका घरेलू निवेशकों द्वारा बचत के उत्पादी मार्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिस पंसदीदा निवेश स्थान बनाने के लिए, समाधान करना आवश्यक है।

5.76 बैंकिंग ऋण तथा इक्विटी बाजार के संपूर्ण के लिए और देश में निगम क्षेत्र के अलावा अवसंरचना विकास की दीर्घावधि वित्तपोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी अर्थव्यवस्था में एक तर्कसंगत सु-विकसित निगम बांड बाजार की बहुत आवश्यकता होती है। निगम बांड बाजार का विकास, यद्यपि हाल ही के समय में महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा और इसने बृहत्तर नीति अवधान प्राप्त किया है; अभी महत्वपूर्ण तरीके से होना शेष है। इस संदर्भ में कुछ मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है जिसमें एक बैंक प्रमुख वित्तीय प्रणाली से एक अधिक विविध वित्तीय प्रणाली में संरचनात्मक बदलाव के लिए रूपरेखा तैयार करना जहां शीर्ष-निर्धारित निगम पूंजी बाजारों से वित्त प्राप्त करते हो, नियम/विनियमों में आवश्यक संशोधनों के द्वारा निगम ऋण के विनियमन के लिए कानूनी रूपरेखा का सुदृढ़ीकरण, तथा निगम बांड बाजार में दीर्घावधि निवेशकों की भागीदारी को सक्षम बनाने हेतु पेंशन, भविष्य निधि तथा बीमा निधियों के लिए निवेश दिशा-निर्देशों में छूट शामिल है। नये उत्पादों जैसे आवरणित बांड, म्युनिसिपल बांड, ऋण चूक अदला-बदली ऋण वृद्धि तथा प्राप्तियों के प्रतिभूतिकरण को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कम लागत पर बांडों के सार्वजनिक निर्गम हेतु विचार किया जा सकता है। नकदी को समर्थकारी बनाने के लिए बाजार अवसंरचना को सुधारने, मूल्य अन्वेषण में पारर्शिता तथा कारोबारी प्रमात्राओं में वृद्धि अभिप्रेरित करने पर उपयुक्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

5.77 अवसरंचना परियोजनाओं हेतु दीर्घावधि वित्तपोषण की आवश्यकता भी एक मुद्दा है जिसे ऐसी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की बैंकों की सीमाओं के संदर्भ में हल करने की आवश्यकता है। अवसरंचना परियोजनाओं को, उनकी दीर्घ भुगतान अवधि को देखते हुए, लागत कि़फायती होने के लिए दीर्घवधि वित्तपोषण की आवश्यकता है। तथापि बैंक, जो इन परियोजनाओं के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत रहे हैं, उनकी अंतर्निहित आस्ति-देनदारी बेमेल होने के कारण दीर्घ-अवधि वित्तपोषण उपलब्ध कराने में अक्षम हैं। इसके अलावा बैंक भी अपनी देनदारी सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। इस संदर्भ में, ऋण वृद्धि के नवीन साधनों के माध्यम् से अवसरंचना विकास निधियों से प्रत्याशा है कि बीमा और पेंशन निधियों, जिन्होंने अब तक अवसंरचना के वित्तपोषण में तुलनात्मक रूप से सीमित भूमिका अदा की है, जैसी बचतों की सीमा निर्धारित करके अवसंरचना परियोजनाओं हेतु दीर्घावधिक कम लागत वाले ऋणों की व्यवस्था करें। विद्यमान परियोजनाओं के बैंक ऋणों का पुन:वित्तपोषण करके, अवसरंचना विकास निधियों से भी आशा है कि वे विद्यमान बैंक ऋण के एक बड़े भाग को अधिग्रहित करेंगी जिससे अवसरंचना परियोजनाओं को नये उधार देने के लिए एक समतुल्य राशि उपलब्ध होगी।

5.78 हाल ही के वैश्विक वित्तीय संकटों से वित्तीय मध्यवर्तियों के संचालन और निवेशकों की जागरूकता से संबंधित कुछ मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। चूंकि निवेशक जागरूकता उनकी सुरक्षा के लिए एक पूर्व शर्त है, इसलिए वित्तीय साक्षरता अभियान के माध्यम् से इस मुद्दे का समाधान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। निवेशकों को, विशेषकर लघु निवेशकों को जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाने और बाजार में सुव्यवस्थित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों पर एक समकालिक तथा समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। वित्तीय साक्षरता में तेजी लाने तथा निवेशक संरक्षण का संवर्धन करने के लिए चल रहे प्रयासों को एक समन्वित तरीके से बढ़ाया जाना आवश्यक है।

5.79 बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2012 के अधि नियमन द्वारा यह आशा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक तथा पर्यवेक्षी शक्तियां अधिक प्रभावपूर्ण हो जाएंगी तथा बैंकों के लिए बैंकिंग व्यवसाय के विस्तार हेतु अपेक्षित निधियां पूंजी बाजार से जुटाना सहज हो जाएगा। यह नए बैंकों के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना भी सुकर बनाएगा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वित्तीय समावेशन का उद्देश्य हासिल करने के लिए अनिवार्य है, इसे तदनुसार त्वरित किया जाना आवश्ययक है।

5.80 भारत के पेंशन सुधार अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापक रुचि का विषय रहे हैं। ये विकास के लिए न केवल दीर्घावधिक बचतों के प्रवाह को सुकर बनाएंगे बल्कि देश में एक विश्वसनीय तथा स्थायी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना में भी सहायक होंगे। वित्तीय साक्षरता के विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों में निम्नतर स्तर, अत्यंत संतुलित अधिशेष की भी अनुपलब्धता तथा सह-अंशदायी स्वावलम्बन योजना के प्रति अभी तक अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की उत्साहहीन अनुक्रिया पेंशन नेटवर्क में भारतीय समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गो के सार्वभौम समावेशन के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं। आपूर्ति पक्ष पर, एनपीएस के बारे में जानकारी तथा लोगों के लिए अपने खाते व्यष्टि रूप से खोलने के लिए अभिगम स्थलों की जानकारी का अभाव प्रमुख अवरोधी कारक रहे हैं जिन पर पेंशन विनियामक द्वारा तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है। जहां तक बीमा उत्पादों का संबंध है, सीमित विकल्प तथा सुरक्षा प्रदान करने तथा दावों को निर्धारित करने की उच्च लागत कुछ मुद्दे हैं जिन पर उपयुक्त रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है ताकि बीमा निधियों को निवेशों में बचतों का सरणीकरण करने का प्रभावी माध्यम बनाया जा सके।

5.81 वैश्विक संदर्भ में, भारत में वित्तीय क्षेत्र का निष्पादन अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक, दोनों प्रकार के कारकों द्वारा प्रभावित होगा। दीर्घावधि में, वैश्विक उत्पादन में सशक्त संवृद्धि भारत सहित विश्व भर में निवेश क्रियाकलापों के सम्पोषण के लिए अनिवार्य होगी। अल्पावधि में, उच्चतर सापेक्ष प्रतिफलों की प्रत्याशा, निवेशकों का जोखिम अवबोधन तथा वैश्विक नकदी जैसे कारक घरेलू इक्विटी बाज़ार में निधियों के प्रवाह के स्तर का निर्णय करेंगे विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना (जीईपी), जनवरी 2013 के अनुसार वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में स्थितियों में जुलाई 2012 से महत्वपूर्ण सहजता आई है जिसमें राजकोषीय सम्पोषणीयता को सुधारने तथा यूरोपीय संघ में पारिस्परिक सहायता प्रक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति प्रतिविम्बित होती है। वित्तीय बाजार के तनावों में गिरावट निम्न के संदर्भ में प्रतिबिम्बित होती है -- विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाहों का एक नए उच्च स्तर पर पहुंचना, विकासशील देश बांड विस्तार (ईएमबीआईजी) में गिरावट तथा विकासशील देश स्टॉक सूचकांक में वृद्धि। समग्र रूप से वैश्विक आर्थिक पर्यावरण नाजुक बना हुआ है तथा आगे और निराशा जनक है यद्यपि जोखिम संतुलन अब हालिया वर्षों की तुलना में कम निरंकुश हैं।